



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रवेश एवं परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका
एवं
ऑनलाईन आवेदन भरने के निर्देश

परीक्षा वर्ष 2019

महत्वपूर्ण दूरभाष क्रमांक
0755—2559923

0755—2551166 से 2551171 (पी.बी.एक्स)

फैक्स क्रमांक —0755—2552061,2554398,

वेब साइट : www.mpbse.nic.in

ई—मेल : [mpbse @ mp-nic.in](mailto:mpbse@mp-nic.in)

सहायक सचिव (समन्वय) के ई—मेल asconf45@gmail.com
mponline का हेल्प लाईन नम्बर — 0755—4019400

यह निर्देश पुस्तिका मण्डल की वेब साइट पर उपलब्ध है

आमुख

शैक्षणिक सत्र 2018–19 के लिए मण्डल की ओर से आपको शुभकामनाएँ। मण्डल द्वारा मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं में नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों को प्रवेश/परीक्षा के संबंध में पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था प्रमुख/अग्रेषण संस्था प्राचार्य का होता है। विगत वर्षों में प्रायः यह देखने में आया है कि छात्रों के प्रवेश—पत्र जारी होने के उपरांत संस्था प्राचार्य के माध्यम से परीक्षा केन्द्र पर छात्र द्वारा विषयों का संशोधन कर परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, जिससे मण्डल एवं छात्रों को असुविधा होती है, साथ ही ऐसे छात्रों का परीक्षा परिणाम भी निर्धारित समय पर घोषित नहीं हो पाता है।

अतः सभी मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त संस्था प्राचार्यों का दायित्व है कि वे मण्डल नियमों एवं निर्देशों का अध्ययन करें, नियमों के अंतर्गत संस्था में प्रवेश प्रक्रिया एवं परीक्षा आवेदन भरने की प्रक्रिया को पूर्ण करें। इस हेतु आपकी सुविधा हेतु महत्वपूर्ण निर्देश एवं तिथियों का प्रकाशन इस वर्ष पुस्तिका के रूप में किया गया है। इसका भली—भाँति अध्ययन कर छात्रों के प्रवेश एवं परीक्षा आवेदन ऑनलाइन भराये जावे, छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि एवं विषयों आदि विवरण की पुष्टि संबंधित छात्र एवं उसके अभिभावक से अनिवार्यतः कराई जावे। ऐसी आशा करता हूँ कि आप इस पुस्तिका का अवश्य अध्ययन कर, नियम निर्देशों का पालन करेंगे।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

अनुक्रमाणिका

संक्र.	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1	महत्वपूर्ण तिथियाँ	1
2	प्रवेश एवं परीक्षा आवेदन—पत्र जमा करने की तिथि व प्रक्रिया	2 – 3
3	परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु निर्देश	3 – 4
4	पूरक प्राप्त छात्र के निर्देश	4
5	विषय / माध्यम का चयन एवं परिवर्तन	5
6	अन्य राज्य / मण्डलों के छात्रों का म,प्र, के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश	5
7	प्रवेश लेने हेतु अर्हकारी परीक्षा	5
8	श्रेणी सुधार के लिए प्रवेश लेने हेतु निर्देश	5
9	अतिरिक्त विषय चयन	6
10	नामांकन	6
11	अध्ययन अन्तराल	6
12	नियमित छात्रों की उपस्थिति	6
13	प्रायोगिक परीक्षायें	7
14	परीक्षा केन्द्र का निर्धारण	7
15	अनुचित साधन	7
16	परीक्षा शुल्क वापसी	7
17	स्थानांतरण प्रकरण	7
18	परीक्षा आवेदन पत्रों का सूक्ष्म परीक्षण	7 – 8
19	संभागीय अधिकारी द्वारा पात्रता का परीक्षण	8
20	बेरस्ट फाइव	8
21	परीक्षा आवेदन पत्र में संशोधन	9
22	नियमित छात्रों को परीक्षा शुल्क में रियायत	9–10
23	मण्डल द्वारा निर्धारित शुल्क विवरण	11
24	मण्डल की परीक्षाओं के लिये ऑनलाईन (online) आवेदन भरने के निर्देश।	11
25	नियमित छात्र हेतु पात्रता	11
26	विशेष निर्देश	11 – 12
27	स्वाध्यायी छात्र हेतु ऑनलाईन प्रक्रिया	13 – 14
28	हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी परीक्षा नियमित एवं स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिये सामान्य निर्देश	15 – 16
29	विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा (DPSE) के आवेदन ऑनलाईन करने की प्रक्रिया एवं पात्रता	16
30	शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा के आवेदन आनलाईन करने की प्रक्रिया एवं पात्रता	16
31	संस्था / परीक्षार्थी निम्न माध्यमों से हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं का शुल्क निम्नानुसार जमा कर सकते हैं	16
32	प्रतिलिपि	17
33	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के शुल्क छूट प्रमाण—पत्र एवं सूची का प्रारूप	18 – 22
34	विषय कोड लिस्ट	23 – 24
35	ब्लॉक कोड लिस्ट	25 – 26

परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने की तिथियाँ

क्र	विवरण	निर्धारित तिथि
1	सामान्य शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि	01.07.2018 से 12.08.2018
2	(अ) सामान्य तिथि के पश्चात ₹2000/- प्रति छात्र विलम्ब शुल्क के साथ अंतिम तिथि (ब) 30 सितम्बर के पश्चात अतिरिक्त विलम्ब शुल्क ₹5000/- प्रति छात्र के साथ अंतिम तिथि (12 अगस्त के पश्चात नवीन भरे गये आवेदन पत्र केवल स्वाध्यायी मान्य होंगे)	30.09.2018 तक 31.12.2018 तक
3	संभागीय कार्यालय के प्रतिनिधि द्वारा नियमित/स्वाध्यायी छात्रों के आवेदन पत्र एवं दस्तावेज समन्वयक संस्था से प्राप्त करने की तिथि	22.08.2018 05.10.2018 05.01.2019
4	संभागीय कार्यालय द्वारा नियमित/स्वाध्यायी छात्रों के पात्रता संबंधी जांच पूर्ण कर अपात्र छात्रों की जानकारी मण्डल मुख्यालय को प्रस्तुत करने की तिथियाँ	30.09.2018 30.10.2018 20.01.2019

अन्य कार्यवाही की तिथि

क्र	विवरण	निर्धारित तिथि
1	ऑनलाइन नामांकन की तिथि	01.07.2018 से 12.08.2018
2	अन्य राज्य/बोर्ड के छात्रों के दस्तावेज अपलोड करने की तिथि	01.07.2018 से 12.08.2018
3	विषय/माध्यम परिवर्तन करने की अंतिम तिथि	31.12.2018
4	कमी उपस्थिति वाले छात्रों की रोल नम्बर की ऑनलाईन प्रविष्टि की तिथि	20.01.2019 से 20.02.2019 तक

परीक्षा केन्द्र के निर्धारण हेतु नियत तिथि

क्र	कार्यवाही विवरण	समय अवधि
1	परीक्षा केन्द्रों का भौतिक सत्यापन	10.08.2018
2	वर्ष 2019 की परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्रों का समिति द्वारा चयन करना	20.08.2018
3	चयन परीक्षा केन्द्रों का प्रकाशन कर दावे एवं आपत्ति प्राप्त करना	30.08.2018
4	दावे एवं आपत्ति का निराकरण कर जिला योजना समिति से अनुमोदन प्राप्त करना	24.09.2018
5	मण्डल को अनुमोदित केन्द्र चार्ट प्रेषित करना	30.09.2018



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

प्रवेश एवं परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका

प्रिय,

प्राचार्य/प्राचार्या,

क्रमांक— 785 /प.स./2018

भोपाल दिनांक— 12/06/18

शैक्षणिक सत्र 2018–19 के लिए मण्डल की ओर से आपको शुभकामनाएँ। मण्डल द्वारा सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं में नियमित विद्यार्थियों को प्रवेश/परीक्षा के संबंध में पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था प्रमुख/प्राचार्य का होता है। सत्र 2017–18 में ऑनलाईन प्रक्रिया से कक्षा 10वीं एवं 12वीं के लगभग 20,00,000 छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र भरे गये। ऑनलाईन फार्म भरे जाने के कारण त्रुटियों में कमी हुई, और परीक्षा परिणाम मई माह के द्वितीय सप्ताह में ही घोषित किये जा सके। इसे दृष्टिगत रखते हुये सत्र 2018–19 में भी परीक्षा आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन भरे जा सकेंगे। सभी मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त संस्था प्राचार्यों का दायित्व है कि वे मण्डल नियमों एवं निर्देशों का अध्ययन करे, नियमों के अतंर्गत संस्था में प्रवेश प्रक्रिया एवं परीक्षा आवेदन भरने की प्रक्रिया को पूर्ण करे। इस हेतु महत्वपूर्ण निर्देश निम्नानुसार है :-

1. प्रवेश एवं परीक्षा आवेदन–पत्र जमा करने की तिथि व प्रक्रिया

1.1 मण्डल से संबंधित प्राप्त संस्था प्राचार्य अपनी संस्था में कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं कक्षाओं में प्रवेश की समस्त प्रक्रिया अंतिम तिथि 31 जुलाई के पूर्व पूर्ण कर लें। मान्यता एवं संबंधित प्राप्त संस्थाओं में सत्र 2018–19 में कक्षा 10वीं एवं 12वीं में सीधे प्रवेश वर्ष, 2017–18 में कक्षा 9वीं एवं 11वीं में संस्था की प्रवेशित नियमित छात्र संख्या से 10 प्रतिशत अधिक प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। अर्थात् यदि कक्षा 9वीं में 100 छात्र प्रवेशित हैं तो कक्षा 10वीं में 10 प्रतिशत वृद्धि उपरांत 10 छात्रों को सीधे प्रवेश की उस संस्था में पात्र होगी। 10 प्रतिशत से अधिक प्रवेश मान्य नहीं किये जावेंगे। इसका उल्लंघन करने पर संस्था की संबंधित भी समाप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त संस्था के सत्र 2017–18 में कक्षा 10वीं एवं 12वीं प्रवेशित परन्तु अनुत्तीर्ण छात्रों को उसी संस्था में पुनः सीधे प्रवेश दिया जा सकेगा, जो इस गणना में शामिल नहीं होंगे। दिनांक 31 जुलाई 2018 तक कक्षा 10वीं एवं 12वीं में प्रवेशित छात्रों के परीक्षा आवेदन–पत्र ऑनलाईन दिनांक 12 अगस्त 2018 तक प्राप्त किये जायेंगे। ऑनलाईन परीक्षा आवेदन–पत्र संस्था प्राचार्य 01 जुलाई 2018 से भरना प्रारंभ कर सकते हैं। परीक्षा आवेदन–पत्र/नामांकन आवेदन–पत्र ऑनलाईन प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है—

1.2 कक्षा 9वीं की प्रवेश–सूची एवं नामांकन आवेदन–पत्र— सत्र 2018–19 में कक्षा 9वीं में ऑनलाईन नामांकित छात्रों की समस्त प्रविष्टि को ही विद्यालय विशेष की कक्षा 9वीं की प्रवेश सूची मान्य की जावेगी। संस्था की कक्षा 9वीं में प्रवेशित छात्रों की 01 जुलाई 2018 से 12 अगस्त 2018 तक ऑनलाईन नामांकन कार्यवाही की जा सकेगी। ऑनलाईन प्रविष्टि उपरांत ऐसे समस्त छात्र संबंधित शाला की प्रवेश–सूची में स्वतः जुड़ जाएंगे। 9वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रवेश सूची उनके नामांकन क्रमांकों से तैयार करने के लिये पृथक से लिंक उपलब्ध होगी।

अन्य राज्य/अन्य मण्डलों से सीधे कक्षा 9वीं में प्रवेशित छात्रों के ऑनलाईन प्रवेश सूची के साथ निम्न दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति अपलोड की जाना आवश्यक होगा—

- (अ) अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची
- (ब) प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांसफर सर्टिफिकेट

1.3 कक्षा 10वीं की प्रवेश–सूची एवं परीक्षा आवेदन–पत्र— सत्र 2018–19 में कक्षा 10वीं में प्रवेशित छात्रों के परीक्षा आवेदन–पत्र उनके कक्षा 9वीं के नामांकन के आधार पर ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। कक्षा 10वीं में सत्र 2018–19 में नियमित प्रवेश हेतु किसी छात्र का नामांकन क्रमांक A-15, A-16, A-17 सीरीज का होना आवश्यक है। Kiosk अथवा Portal पर छात्र के नामांकन क्रमांक की प्रविष्टि करते हुये परीक्षा आवेदन–पत्र भरे जा सकते हैं। A-15 अर्थात् वर्ष 2015–16 में नामांकित परीक्षार्थी नियमित प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे। निर्धारित अवधि में जिन परीक्षार्थीयों के परीक्षा आवेदन–पत्र संस्था द्वारा भरे जायेंगे उन्हें ही विद्यालय विशेष की प्रवेश सूची हेतु मान्य किया जायेगा।

अन्य राज्य/अन्य मण्डलों से सीधे कक्षा 10वीं में प्रवेशित छात्रों के ऑनलाईन परीक्षा आवेदन–पत्र के साथ निम्न दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति अपलोड की जाना आवश्यक होगा।

- (अ) अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची
- (ब) प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांसफर सर्टिफिकेट

1.4 अन्य राज्य/अन्य मण्डलों के परीक्षा आवेदन–पत्रों की स्क्रूटनी उपरान्त पात्र पाये गये परीक्षार्थीयों हेतु नामांकन क्रमांक जनरेट किया जावेगा। आवश्यक दस्तावेज अथवा पात्रता के अभाव में अपात्र पाये गये

छात्रों के परीक्षा आवेदन—पत्र निरस्त किये जाने का अधिकार मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा। अन्य राज्य/अन्य मण्डलों के छात्रों को परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त ₹450/- (ग्राहयता शुल्क) भी पृथक से देय होगा।

1.5 यदि किसी छात्र का कक्षा 9वीं/11वीं में किसी कारणवश संस्था प्राचार्य अथवा छात्र द्वारा नियमित प्रवेश होने उपरान्त भी मण्डल से निर्धारित तिथियों में नामांकन प्राप्त करने की कार्यवाही नहीं की है, और छात्र को मण्डल का नामांकन क्रमांक प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे परीक्षार्थी कक्षा 10वीं एवं 12वीं में नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी, ऐसे परीक्षार्थी मण्डल की परीक्षा में स्वाध्यायी रूप से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार परीक्षा आवेदन—पत्र भरकर परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। अन्य राज्य/अन्य मण्डलों के, प्रावधन के तहत, कक्षा 10वीं एवं 12वीं में सीधे प्रवेशित छात्रों को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नामांकन क्रमांक आंवटिट किये जायेंगे।

1.6 **कक्षा 11वीं की प्रवेश सूची**— सत्र 2018–19 में कक्षा 11वीं में जिन छात्रों को प्रवेश दिया गया है, उनका चयन कक्षा 10वीं के रोलनम्बर के आधार पर कक्षा 11वीं की प्रवेश सूची हेतु ऑनलाईन किया जाएगा।

अन्य राज्यों/अन्य मण्डलों से सीधे कक्षा 11वीं में प्रवेशित छात्रों के ऑनलाईन प्रवेश सूची के साथ निम्न दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति अपलोड की जाना आवश्यक होगा—

- (अ) अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची
- (ब) प्रतिहस्ताक्षारित ट्रांसफर सर्टिफिकेट
- (स) प्रवजन (माईग्रेशन) प्रमाण—पत्र

1.7 **कक्षा 12वीं की प्रवेश सूची एवं परीक्षा आवेदन—पत्र**— सत्र 2018–19 में कक्षा 12 वीं के लिए प्रवेशित सत्र 2015–16 एवं 2016–17 में 10वीं उत्तीर्ण छात्रों तथा 2017–18 में कक्षा 12वीं नियमित अनुत्तीर्ण छात्रों की सूची एम पी ऑनलाईन कियोस्क/पोर्टल पर ऑनलाईन उपलब्ध होगी। कक्षा 12वीं में जिन छात्रों को प्रवेश दिया गया है, उनका चयन कक्षा 10वीं के रोलनम्बर के आधार पर कक्षा 12वीं का परीक्षा आवेदन—पत्र ऑनलाईन किया जायेगा। अन्य राज्यों/अन्य मण्डलों के माध्यमिक शिक्षा मण्डल से ग्राह्यता प्राप्त छात्रों को कक्षा 12वीं का नियमित फार्म भरने के लिये C16,C17 एवं D18 सीरिज का नामांकन क्रमांक होना आवश्यक है।

1.8 संस्था प्राचार्य का दायित्व होगा कि सत्र 2016–17 अथवा 2017–18 में कक्षा 11वीं उत्तीर्ण छात्रों को ही प्रवेश देकर परीक्षा आवेदन—पत्र भर सकेंगे। ऐसे छात्र जो सत्र 2016–17 अथवा 2017–18 में कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण हुआ हो, वे बिना विषय परिवर्तन किये श्रेणी सुधार के लिये संस्था के माध्यम से परीक्षा आवेदन पत्र भर सकता है, किन्तु ऐसे छात्रों के लिये प्राचार्य का दायित्व होगा कि दोनों वर्षों में से छात्र केवल एक ही बार श्रेणी सुधार की सुविधा का लाभ ले। सत्र 2017–18 में कक्षा 12वीं अनुत्तीर्ण होकर नियमित प्रवेशित छात्र अथवा श्रेणी सुधार के रूप में प्रवेशित छात्रों का चयन कक्षा 12वीं के रोलनम्बर के आधार पर किया जा सकेगा।

1.9 अन्य राज्य/अन्य मण्डलों से सीधे कक्षा 12वीं में प्रवेशित छात्रों के Online परीक्षा आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति Upload किया जाना आवश्यक होगा—

- (अ) अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची
- (ब) प्रतिहस्ताक्षारित ट्रांसफर सर्टिफिकेट
- (स) प्रवजन (माईग्रेशन) प्रमाण—पत्र

ऐसे समस्त छात्रों के परीक्षा आवेदन—पत्रों की स्क्रूटनी उपरान्त पात्र पाये गये छात्रों को नामांकन क्रमांक आवंटित किये जायेंगे। आवश्यक दस्तावेज अथवा पात्रता के अभाव में अपात्र पाये गये छात्रों के परीक्षा आवेदन—पत्र निरस्त किये जाने का अधिकार मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा। अन्य राज्य/अन्य मण्डलों के छात्रों को परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त ₹450/- (ग्राहयता शुल्क) भी पृथक से देय होगा।

2. परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु निर्देश

2.1 नियमित छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र **Online** के माध्यम से दिनांक 01 जुलाई 2018 से 12 अगस्त 2018 तक भरे जा सकेंगे। इस वर्ष भी मेन्युअल आवेदन पत्र नहीं भरवाये जाएंगे। 12 अगस्त 2018 के पश्चात् **Unpaid** रह गये नियमित छात्रों के परीक्षा शुल्क 30 सितंबर 2018 तक अतिरिक्त राशि ₹ 2000/-—विलम्ब शुल्क के साथ तथा इसके पश्चात् भी रह गये छात्र 31 दिसम्बर 2018 तक परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त राशि ₹ 5000/-—विशेष विलम्ब शुल्क **Online** जमा कर सकेंगे, किन्तु ऐसे छात्रों का प्रवेश 31 जुलाई तक किया गया हो तथा ऐसे छात्रों के परीक्षा आवेदन—पत्र 12 अगस्त तक **Online** भरे गये हो लेकिन शुल्क जमा नहीं की गई हो। 12 अगस्त के पश्चात् भरे गये नवीन परीक्षा आवेदन—पत्र केवल स्वाध्यायी रूप से नियत विलम्ब शुल्क के साथ मान्य होंगे नियमित नहीं। अतः यह सुनिश्चित करना

संस्था प्राचार्य का दायित्व होगा कि, 31 जुलाई तक प्रवेशित सभी नियमित छात्रों के परीक्षा आवेदन—पत्र निर्धारित तिथि तक Online भर दिये गये हैं। इन तिथियों के पश्चात् कोई भी आवेदन—पत्र मान्य नहीं किये जावेंगे।

- 2.2 ऑनलाइन आवेदन पत्र निकटस्थ MPOonline के अधिकृत किसी भी कियोस्क पर जाकर निर्धारित शुल्क एवं पोर्टल चार्जस का नगद भुगतान करते हुए भरे जा सकते हैं। MPOonline की वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in से Credit Card/Debit Card /Internet Banking से शुल्क का भुगतान करके भी आवेदन किया जा सकता है। संस्था प्राचार्य/अग्रेषण संस्था प्राचार्य निकटस्थ कियोस्क पर जाकर प्रविष्टि करायेंगे। किसी भी स्थिति में छात्र को Kiosk पर नहीं भेजा जाए। छात्र का डिजिटल कैमरे से लिया हुआ नाम एवं दिनांक युक्त पासपोर्ट साईज का रंगीन फोटो ग्राफ अनिवार्य रूप से चर्चा किया जाए। इसी फोटो का Kiosk पर स्कैन कराया जावे।
- 2.3 हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी एवं अन्य परीक्षाएँ वर्ष 2018–19 के लिये कक्षा 10वीं एवं 12वीं के छात्रों के परीक्षा आवेदन (Online के Kiosk Centre से प्राप्त आवेदन की छाया प्रति) के साथ पात्रता की जांच हेतु संस्था प्राचार्य एवं संबंधित छात्र का स्वप्रमाणित Documents संलग्न कर समस्त आवेदन फार्म जिले की समन्वय संस्था में दिनांक 22 अगस्त 2018 तक जमा करना अनिवार्य होगा।

अन्य राज्य/अन्य मण्डलों से उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण छात्र मण्डल से सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं में प्रवेशित (कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं) छात्रों के ऑनलाइन नामांकन फार्म/प्रवेश सूची/परीक्षा आवेदन फार्म हेतु Kiosk/Portal पर पृथक लिंक उपलब्ध होगी। उक्त लिंक के माध्यम से अन्य राज्य/अन्य मण्डलों के कक्षा 9वीं एवं 11वीं के परीक्षार्थियों के नामांकन आवेदन/प्रवेश सूची तथा 10वीं एवं 12वीं के लिये परीक्षा आवेदन फार्म भरे जायेंगे तथा इन परीक्षार्थियों के लिये प्रवेश सूची के साथ अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची, प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांसफर सर्टिफिकेट एवं प्रवजन (माइग्रेशन) प्रमाण—पत्र दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति दिनांक 12 अगस्त 2018 तक अपलोड की जाना आवश्यक होगा। यह सुनिश्चित करना संस्था प्राचार्य, अभिभावक एवं छात्र का होगा कि, निर्धारित तिथियों में समस्त दस्तावेजों को Upload कर दिया गया है, यदि कोई दस्तावेज Upload करने से रह गया हो तो ऐसे दस्तावेज दिनांक 19 अगस्त 2018 तक Upload किया जा सकेगा। अन्य राज्य/अन्य मण्डलों के छात्रों के Online के Kiosk Centre से प्राप्त कक्षा 9वीं/11वीं का नामांकन आवेदन पत्र एवं कक्षा 10वीं/12वीं के परीक्षा आवेदन पत्र की छाया प्रति के साथ पात्रता की जांच हेतु संस्था प्राचार्य संबंधित छात्र का स्वप्रमाणित एवं संस्था प्राचार्य से प्रमाणित Documents संलग्न कर समस्त आवेदन फार्म संबंधित समन्वयक संस्था में दिनांक 22 अगस्त 2018 तक जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

अन्य राज्य/अन्य मण्डलों के छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र के साथ यदि कोई दस्तावेज अपलोड नहीं किये जाने की दशा में ऐसे छात्रों के मेन्यूअली दस्तावेज किसी भी दशा में मान्य नहीं किये जावेंगे तथा ऐसे छात्रों के (जिनके दस्तावेज अपलोड नहीं हैं) परीक्षा आवेदन पत्र अमान्य किये जावेंगे। किसी भी संस्था प्राचार्य द्वारा अपूर्ण अपलोड दस्तावेज/दस्तावेज अपलोड न होना अथवा पात्रता के अभाव में निरस्त फार्म से संबंधित कोई भी दस्तावेज निर्धारित तिथि के बाद मण्डल के किसी भी कार्यालय में न भेजा जावे। ऐसे प्रकरणों के, संस्था प्राचार्य व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक के माध्यम से मण्डल को भेजे गये दस्तावेज किसी भी दशा में मान्य नहीं किये जावेंगे।

परीक्षा आवेदन पत्र में प्रत्येक छात्र का मोबाईल नम्बर एवं अधार कार्ड का क्रमांक भी अंकित किया जावे।

3. पूरक प्राप्त छात्र के निर्देश (मण्डल विनियम 139)

मण्डल द्वारा आयोजित वर्ष 2018 की पूरक परीक्षा में सम्मिलित छात्र जिनका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है उन्हें वर्तमान कक्षा में प्रावधिक (**PROVISIONAL**) प्रवेश की पात्रता रहेगी। पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण होने पर छात्रों को परीक्षा फार्म भरने एवं प्रवेश सूची में नाम जोड़ने हेतु पूरक परीक्षाफल घोषणा के पश्चात् 30 दिवस का समय पृथक से दिया जावेगा।

4. विषय / माध्यम का चयन एवं परिवर्तन (मण्डल विनियम 207)

कक्षा 10 वीं एवं 12वीं में विषय का चयन प्रचलित पाठ्यक्रमानुसार किया जाए। कक्षा 12वीं में डायवर्सीफाईड समूह में विषयों का चयन सावधानीपूर्वक करें। पाठ्यक्रम का भली-भौति अध्ययन कर छात्रों से विषय चयन करावें। ऑनलाईन आवेदन करते समय विषय कोड लिस्ट से जांच कर विषय कोड भरा जावे। चयनित विषय/माध्यम में परिवर्तन निर्धारित शुल्क जमा कर दिनांक 31.12.2018 तक किया जा सकेगा।

5. अन्य राज्य/मण्डलों के छात्रों का म.प्र., के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश (मण्डल विनियम 122)

समकक्षता प्राप्त अन्य राज्य/अन्य बोर्ड के छात्र क्रमशः 8वीं, 9वीं, 10वीं एवं 11वीं की परीक्षा वर्ष 2018 में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण अथवा वर्ष 2018 कक्षा 12वीं अनुत्तीर्ण हो, यथास्थिति कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं कक्षा में सीधे अस्थाई प्रवेश ले सकेंगे। ऐसे समस्त परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन-पत्र/नामांकन आवेदन-पत्र के साथ बिन्दु क्रमांक 01 में दर्शाये गये दस्तावेज Online Upload किये जाना आवश्यक होंगे, संस्था प्राचार्य का यह दायित्व होगा कि, परीक्षा आवेदन-पत्र भरने के पूर्व सुनिश्चित करें की छात्र मण्डल के ग्राहयता विनियम अनुसार प्रवेश एवं परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र है एवं आवश्यक दस्तावेज Online Upload कर दिया गया है। मण्डल द्वारा किसी भी छात्र के संबंध में ग्राहयता संबंधी पूर्ति नहीं होना पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में संबंधित संस्था प्राचार्य के विरुद्ध आवश्यक वैद्यानिक कार्यवाही करते हुये संस्था की संबंद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

6. प्रवेश लेने हेतु अर्हकारी परीक्षा

- 6.1 किसी भी छात्र को मान्यता प्राप्त संस्था में कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं में प्रवेश लेना है, तो उसे यथास्थिति कक्षा 8वीं, 9वीं, 10वीं अथवा 11वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, तथा केवल वर्ष 2018 में कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं में नियमित रूप से अनुत्तीर्ण छात्र भी नियमित प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
- 6.2 कक्षा 10वीं एवं 12वीं के छात्रों के परीक्षा आवेदन (Online के Kiosk Centre से प्राप्त आवेदन की छाया प्रति) के साथ पात्रता की जांच हेतु संस्था प्राचार्य एवं संबंधित छात्र का स्वप्रमाणित Documents संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
- 6.3 संस्था प्राचार्य का दायित्व होगा कि वे प्रवेश देने के समय ही छात्रों के डाक्युमेंट की जांच पूर्व में ही कर ले, उसके पश्चात् ही छात्रों को नियमित प्रवेश दे अथवा पात्रतानुसार स्वाध्यायी आवेदन भरने के दिशा निर्देश दे। पात्रता संबंधी दस्तावेज संलग्न नहीं होने अथवा अपात्र पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त किया जावेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संस्था प्राचार्य की होगी मण्डल की नहीं।
- 6.4 नियमानुसार कोई भी परीक्षार्थी एक ही वर्ष में दो विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो सकता है।

7. श्रेणी सुधार के लिए प्रवेश लेने हेतु निर्देश (मण्डल विनियम 212)

- 7.1 नियमित छात्र के रूप में श्रेणी सुधार/अंक सुधार हेतु सत्र 2016–17 एवं 2017–18 में केवल माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल से उत्तीर्ण छात्र ही मण्डल परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। इस योजना में केवल एक ही अवसर का लाभ मिलेगा। इसमें विषय परिवर्तन का लाभ नहीं दिया जावेगा।
- 7.2 श्रेणी सुधार में सम्मिलित होने वाले छात्रों का प्रतियोगी परीक्षाओं में हायर सेकेण्डरी परीक्षा के अंकों के अधिभार को दृष्टिगत रखते हुए मण्डल की परीक्षा समिति में हुए निर्णयानुसार 01 अंक की वृद्धि होने अथवा श्रेणी परिवर्तन होने पर ही नवीन परीक्षाफल तैयार किया जावेगा, तथा पुरानी अंकसूची वापरा प्राप्त होने पर नवीन अंकसूची प्रदाय की जावेगी।
- 7.3 श्रेणी सुधार का लाभ अन्य राज्य/अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण छात्रों को नहीं दिया जावेगा।

8. अतिरिक्त विषय चयन

अतिरिक्त विषय का चयन मण्डल की कक्षा 12वीं परीक्षा में प्रचलित पाठ्यक्रमानुसार किसी भी एक विषय (जो मुख्य विषय में चयन नहीं किया गया हो) के रूप में लिया जा सकता है।

9. नामांकन (मण्डल विनियम 1994)

- 9.1 मण्डल की समस्त सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं के विद्यार्थियों का मण्डल में नामांकन होना अनिवार्य है। अन्य बोर्ड/अन्य राज्यों के छात्र के नामांकन हेतु आवश्यक कार्यवाही Online के माध्यम से दिनांक 12 अगस्त 2018 तक अनिवार्य रूप से करेंगे।
- 9.2 कक्षा 9वीं में नवीन प्रवेशित छात्रों के नामांकन Online किया जाएगा। नामांकन की प्रविष्टी Kiosk पर कराते समय छात्र की जानकारी सावधानी से त्रुटि रहित भरी जावे। ऑनलाइन नामांकन दिनांक 01.07.2018 से 12.08.2018 तक निर्धारित है। पोर्टल शुल्क प्रति छात्र ₹25/- पृथक से देय होगा।
- 9.3 कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं के छात्रों के लिये Online नामांकन क्रमांक आवंटन की श्रेणी(सिरिज) निम्नानुसार रहेगी—
- (अ) कक्षा 9वीं के लिये **A-18/संस्था** कोड/क्रमांक 001 से प्रारम्भ।
(ब) कक्षा 10वीं के लिये **B-18/संस्था** कोड/क्रमांक 001 से प्रारम्भ।
(स) कक्षा 11वीं के लिये **C-18/संस्था** कोड/क्रमांक 001 से प्रारम्भ।
(द) कक्षा 12वीं के लिये **D-18/संस्था** कोड/क्रमांक 001 से प्रारम्भ।
(इ) कक्षा 10वीं स्वाध्यायी छात्रों के लिये **E-18/अग्रेषण संस्था** कोड/क्रमांक 001 से प्रारम्भ।
(ई) कक्षा 12वीं स्वाध्यायी छात्रों के लिये **F-18/अग्रेषण संस्था** कोड/क्रमांक 001 से प्रारम्भ।

10. अध्ययन अन्तराल

कक्षा 8वीं एवं 10वीं में उत्तीर्ण छात्र क्रमशः कक्षा 9वीं एवं 11वीं में नियमित प्रवेश के लिये अध्ययन अन्तराल एक वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिये। लगातार दो वर्ष का अन्तराल अथवा दो वर्ष एक ही कक्षा में अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में छात्र को नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। ऐसे छात्र मण्डल की परीक्षा में स्वाध्यायी छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।

11. नियमित छात्रों की उपस्थिति (मण्डल विनियम 203, 208, 209, 210)

मण्डल की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए नियमित छात्र की न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। छात्र की 75% से कम उपस्थिति होने पर मण्डल विनियम अनुसार विभिन्न प्राधिकारी द्वारा 10 प्रतिशत की छूट दिये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त म.प्र. में राज्य/राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने वाले छात्र/छात्राओं को बोर्ड परीक्षाओं में 60 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। राज्य/राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धि छात्र/छात्राओं को यह अवधि खेल प्रतियोगिता में सम्मिलित कुल वास्तविक दिनों के उपस्थिति दिवस के रूप में मान्य की जावेगी। कभी उपस्थिति वाले छात्रों को नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में बैठने की पात्रता न होने के कारण विशेष परिस्थितियों में अनुमति प्राप्त होने पर एवं अतिरिक्त शुल्क ₹50/- ऑनलाइन अदा करने पर स्वाध्यायी छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। ऐसे छात्रों की सूची रोलनम्बर सह संस्था प्राचार्य संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से दिनांक 20.01.2019 से 20.02.2019 तक Online के द्वारा मण्डल मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।

12. प्रायोगिक परीक्षायें

नियमित परीक्षार्थी की प्रायोगिक परीक्षायें उनकी अध्ययनरत संस्थाओं पर सैद्यांतिक परीक्षाओं के पूर्व आयोजित की जायेंगी। इस हेतु बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति प्रायोगिक परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि से 15 दिवस पूर्व अनिवार्यतः जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा की जावें।

13. परीक्षा केन्द्र का निर्धारण

एम सी सी क्रमांक-203/2001 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.2001 के अनुसार जिला योजना समिति से अनुमोदित परीक्षा केन्द्रों के प्रस्ताव मण्डल को प्रेषित किया जाना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि प्रथम पृष्ठ पर अंकित है।

14. अनुचित साधन (मण्डल अधिनियम 1937)

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा संचालित समस्त परीक्षाओं में सामूहिक नकल/व्यक्तिगत नकल पूर्ण संकल्प एवं दृढ़ता से रोकी जाना है। "मध्यप्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षायें अधिनियम 1937" की धारा "डी" के अन्तर्गत जो भी व्यक्ति परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करता है अथवा करवाता है उसको तीन साल का कारावास अथवा पाँच हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। अतः छात्रों को इस दुष्प्रवृत्ति से दूर रहने हेतु प्रेरित करे। अनुचित साधन का प्रयोग करने वाले छात्र एवं सामूहिक नकल परीक्षा केन्द्र पर प्रमाणित होने पर मण्डल ऐसे छात्रों की परीक्षा एवं परीक्षाफल निरस्त करने की कार्यवाही करेगा।

15. परीक्षा शुल्क वापसी (मण्डल विनियम 111, 112, 113)

- 15.1 अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हो जाए या पूरी/आंशिक परीक्षा में उपस्थित न हो अपनी फीस वापस प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।
- 15.2 ऐसे अभ्यर्थी की फीस वापस होगी, जिसे मण्डल की परीक्षा में समिलित होने के लिये अपात्र घोषित किया जाये, या उपस्थिति पूर्ण न होने के कारण अपात्र किया गया हो। झूठे प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किये जाने पर फीस वापस नहीं होगी।
- 15.3 परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व छात्र की मृत्यु होने पर संस्था प्राचार्य के माध्यम से माता—पिता को फीस वापस की जावेगी।

16. स्थानांतरण प्रकरण

किसी पालक का स्थानांतरण, शैक्षणिक सत्र के बीच में हो जाता है तो छात्र को संस्था में उस स्थिति में प्रवेश दिया जा सकेगा, जब छात्र द्वारा निर्धारित तिथि तक नियमित छात्र के रूप में किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रवेश ले लिया हो। इन प्रकरणों में संस्था परिवर्तन की सूचना संबंधित शाला के नवीन प्राचार्य द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक मण्डल मुख्यालय में सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।

17. परीक्षा आवेदन पत्रों का सूक्ष्म परीक्षण

- 17.1 नवीन प्रवेशित छात्रों की जांच उपरांत ही पात्रता होने पर प्रवेश दिया जाए। मण्डल की परीक्षा हेतु आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों के Documents की जांच भी प्राचार्य स्तर पर की जाये, तथा छात्र से विवरण संबंधी पुष्टि करा ली जाये। इस कार्य के लिये मानदेय नहीं दिया जावेगा। पात्र छात्र ही परीक्षा में समिलित हो यह सुनिश्चित करना संस्था प्राचार्य का दायित्व होगा। समस्त छात्रों के ऑनलाइन आवेदन की प्रति के साथ पात्रता संबंधी डाक्यूमेन्ट्स संलग्न कर जिले की समन्वयक संस्था पर निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा। अन्य राज्य व मण्डलों के छात्रों के पात्रता दस्तावेज व शुल्क छूट का प्रमाण पत्र रखें कर Upload करना भी अनिवार्य होगा।
- 17.2 छात्रों के नामांकन आवेदन—पत्र भरे जाने में विशेष सावधानी की आवश्यकता है, जो कि छात्र के साथ—साथ प्राचार्य का भी दायित्व है। पूर्व वर्षों में यह देखने में आया है कि, नामांकन में छात्रों की त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण परीक्षा के पूर्व तथा परीक्षा परिणाम के उपरान्त अंकसूचियों में संशोधन के लिये अत्यधिक संख्या में प्रकरण उत्पन्न होते हैं। जिसके कारण छात्रों एवं अभिभावकों को अत्यधिक परेशानी होती है।

अतः संबंधित संस्था प्राचार्य का दायित्व होगा, कि किसी भी छात्र का किसी भी कक्षा के लिये नामांकन ओवेदन—पत्र भरने के दौरान व उपरान्त, नामांकन आवेदन—पत्र में भरी गई जानकारियों जैसे छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि आदि विवरण की पुष्टि संबंधित छात्र एवं उसके अभिभावक से अनिवार्यतः कराई जावे, जिससे आवेदन—पत्र में कोई लिपिकीय त्रुटि न रहे एवं नामांकन आवेदन—पत्र पर उनके हस्ताक्षर भी प्राप्त किये जावे। समुचित परीक्षण उपरान्त नामांकन फार्म भरने से बाद में अंकसूचियों में संशोधन की स्थिति निर्मित नहीं होगी। उक्त निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में संबंधित संस्था प्राचार्य उत्तरदायी होंगे एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

18. संभागीय अधिकारी द्वारा पात्रता का परीक्षण

ऑनलाईन से प्राप्त आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ संलग्न पात्रता संबंधी दस्तावेज जिले की समन्वयक संस्था से संभागीय अधिकारी कार्यालय से प्रतिनिधि भेजकर दिनांक 22 अगस्त 2018 तक प्राप्त करेंगे तथा दिनांक 30.09.2018 तक हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी के समर्त (प्रदेश व अन्य राज्य/अन्य मण्डलों) छात्रों तथा कक्षा 9वीं एवं 11वीं के अन्य राज्यों/अन्य मण्डलों के छात्रों की पात्रता का परीक्षण कर अपात्र छात्रों की जानकारी संबंधित संस्था को देंगे। साथ ही मण्डल मुख्यालय को भी अनिवार्यतः अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। ऑनलाईन आवेदन की प्रति, नामिनल रोल, शुल्क विवरण पत्रक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र इत्यादि अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे, तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र का आडिट पूर्व वर्षों के भौति संभागीय कार्यालय स्तर पर संबंधित विभाग से कराकर ऑडिट रिपोर्ट मण्डल को प्रस्तुत करेंगे।

अन्य राज्य/अन्य मण्डलों के छात्रों की अंकसूचियां संबंधित मण्डल द्वारा उपलब्ध कराई गई ऑनलाईन सत्यापन व्यवस्था के अन्तर्गत अंकसूचियों का सत्यापन भी सुनिश्चित करेंगे, जिन मण्डलों द्वारा ऑनलाईन सत्यापन सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है, उन मण्डलों को संबंधित अंकसूचियां भेजकर सत्यापन की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

19. बेस्ट फाइव

- 19.1 मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रलायक वल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र. के आदेश क्रमांक एफ-44-19/20-2 भोपाल, दिनांक 26.06.2016 के अनुसार प्रदेश में शिक्षण सत्र 2016-7 से कक्षा 9वीं एवं 10वीं की वार्षिक परीक्षा में प्राप्तांकों की गणना हेतु बेस्ट फाइव पद्धति अपनाई जाए, जिसके अन्तर्गत जिन 06 विषयों में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा परीक्षा ली जाती है उन में से जिन 05 विषयों में विद्यर्थी के सबसे अधिक अंक हो, परीक्षा की गणना हेतु उन 05 विषयों के अंकों को ही लिया जाये।
- 19.2 यदि छात्र दो विषयों में अनुत्तीर्ण होता है तो छात्र को दो विषयों में पूरक की पात्रता होगी और दोनों विषयों में या किसी एक विषय में हाईस्कूल पूरक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।
- 19.3 यदि छात्र तीन विषयों में अनुत्तीर्ण होता है तो उसका परीक्षा परिणाम अनुत्तीर्ण घोषित किया जावेगा।
- 19.4 06 विषयों में सम्मिलित होकर यदि छात्र का परीक्षा परिणाम 05 विषयों में उत्तीर्ण और एक विशय में अनुत्तीर्ण रहने पर “बेस्ट फाइव” के तहत उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो ऐसे छात्र आगामी वर्ष में श्रेणी सुधार हेतु नियमित/स्वाध्यायी छात्र के रूपमें हाईस्कूल परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।
- 19.5 “बेस्ट फाइव” पद्धति के तहत यदि छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण होता है और उसका परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण घोषित किया गया है ऐसी स्थिति में यदि छात्र अनुत्तीर्ण विषय की पूरक परीक्षा देना चाहे तो उसी सत्र की पूरक परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा।

(“बेस्ट फाइव” पद्धति के दो या अधिक विषयों में समान अंक होने पर “बेस्ट फाइव” पद्धति के तहत परीक्षा परिणाम में सम्मिलित विषयों का क्रम भाषा समूह में प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा एवं कोर विषयों गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान रहेंगा। भाषा ग्रुप में से एक और कोर विषयों में से एक विषय में समान अंक प्राप्त होने पर कोर विषय को परीक्षा परिणाम में सम्मिलित कर “बेस्ट फाइव” पद्धति के तहत परीक्षा परिणाम एवं श्रेणी का निर्धारण पांच विषयों के आधार किया जावेगा। किसी विषय में अनुपस्थित छात्र का परीक्षा परिणाम उस विषय में अनुत्तीर्ण मानकर “बेस्ट फाइव” विषयों के अंकों के आधार पर घोषित किया जावेगा।)

20. परीक्षा आवेदन पत्र में संशोधन

परीक्षा परिणाम घोषणा उपरान्त संशोधन प्रकरणों की संख्या न्यूनतम हो इसे दृष्टिगत रखते हुये कक्षा 10वीं के परीक्षा फार्म में संबंधित संस्था प्राचार्य के माध्यम से कक्षा 9वीं के नामांकन फार्म में भरी गई जानकारियों का सम्पूर्ण डाटा परिवर्तित किये बिना, लिपिकीय त्रुटियों को संस्था में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर संस्था प्राचार्य के प्रमाणीकरण के आधार पर, जिस कियोस्क से नामांकन एवं परीक्षा आवेदन पत्र भरे गये है, उसी कियोस्क से त्रुटियों के सुधार प्रथमतः कक्षा 9वीं के नामांकन डाटा में कक्षा 10वीं का परीक्षा फार्म भरने के अंतिम तिथि किया जा सकेगा।

कक्षा 12वीं के परीक्षा फार्म में शुल्क भुगतान उपरान्त कक्षा 10वीं का डाटा छोड़कर शेष परीक्षा लिपिकीय त्रुटियों को संस्था में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सुधार कक्षा 12वीं के परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि तक किया जा सकेगा।

21. नियमित छात्रों को परीक्षा शुल्क में रियायत (मण्डल विनियम 110)

- 21.1 नेत्रहीन, मूक-बधिर, स्पास्टिक सेरेब्रल-पॉलसी (मानसिक रूप से विकलांग) से पीड़ित परीक्षार्थी। (C.M.O. द्वारा प्रमाणित चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर संस्था प्राचार्य का प्रमाणीकरण
- 21.2 मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण –संस्थाओं के सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत मध्यप्रदेश के शिक्षकों के पुत्र/पुत्रियां परीक्षार्थी। (प्रमाणीकरण जिला शिक्षा अधिकारी)
- 21.3 मण्डल के अधिकारी/कर्मचारियों के पुत्र–पुत्रियां परीक्षार्थी – (प्रमाणीकरण–मण्डल मुख्यालय एवं संबंधित संभागीय अधिकारी)
- 21.4 मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं की पुत्रियां परीक्षार्थिनी। प्रमाणीकरण– जिला शिक्षा अधिकारी
- 21.5 महिला परीक्षार्थिनी जिनके अभिभावकों की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय रुपये 15,000/- से अधिक नहीं है। (प्रमाणीकरण–कार्यपालन अधिकारी अथवा रेवेन्यु अधिकारी)
- 21.6 (i) मध्यप्रदेश के निवासी अनुसूचित जाति के परीक्षार्थी – यदि परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रुपये 1.00 लाख से अधिक नहीं है।
(ii) मध्यप्रदेश के निवासी अनुसूचित जनजाति के परीक्षार्थी यदि परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय ₹ 1,08 (एक लाख आठ हजार) से अधिक नहीं है।
- (i) केवल प्रथम अवसर केलिये सूपर्ण परीक्षा शुल्क छूट। आवेदन पत्र के मूल्य में छूट नहीं है।
(ii) सम्बन्धित जिले में शासन द्वारा अनुसूचित जाति/ जन जाति की निर्धारित की गई जातियों के परीक्षार्थियों के लिए यह छूट रहेगी।

शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया

(iii) आयुक्त अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक /शिक्षा-3/ 2013/ 2690 भोपाल दिनांक 12.07.13* के अनुसार कक्षा 12वीं के अनुसूचित जाति के छात्रों का परीक्षा शुल्क शासकीय संस्थाओं के प्राचार्य, सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण - विभाग से प्राप्त कर मण्डल को परीक्षा फार्म भरते समय भुगतान करेंगे तथा अशासकीय संस्थाओं के छात्रों की परीक्षा शुल्क नोडल संस्था के निकट की शासकीय संस्था के प्राचार्य से प्राप्त कर मंडल को जमा करेंगे।


(iv) कक्षा 10वीं के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं कक्षा 12वीं के अनुसूचित जनजाति के छात्रों की परीक्षा शुल्क गतवर्षानुसार संबंधित विभाग से दी गई शुल्क छूट की राशि का भुगतान प्राप्त किया जाएगा।

प्रमाणीकरण—एस.डी.ओ./सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नाथब तहसीलदार, परियोजना प्रशासन अधिकारी (वृहत/माध्यम/लघु) एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना एवं संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग

नोट :-किसी भी श्रेणी में शुल्क छूट प्राप्त करने हेतु जाति प्रमाण पत्र अथवा संबंधित प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र परीक्षा आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया जाना तथा मूलप्रति परीक्षा आवेदन पत्र के साथ संभागीय कार्यालय में समन्वयक संस्था के माध्यम से जमा करना आवश्यक होगा अन्यथा शुल्क रियायत की पात्रता नहीं होगी।

22. मण्डल द्वारा निर्धारित शुल्क विवरण

क्र.	विवरण	अनुमोदित दरें
1	परीक्षा शुल्क (नियमित / स्वाध्यायी संपूर्ण विषय)	₹900/-
2	नामांकन शुल्क कक्षा (9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं एवं डी.एल. एड. प्रथम वर्ष परीक्षा हेतु)	₹250/-
3	संपूर्ण विषयों के साथ प्रति अतिरिक्त विषय हेतु	₹250/-
4	केवल एक अतिरिक्त विषय हेतु	₹250/-
5	पूरक परीक्षा हेतु प्रति विषय	₹350/-
6	हायरसेकेण्डरी व्यावसायिक –	
	दो विषय तक	₹350/-
	चार विषय तक	₹500/-
	चार से अधिक विषय	₹600/-
7	डी. एल. एड. (नियमित संपूर्ण विषय) परीक्षा शुल्क –	₹4000/-
8	डी. एल. एड. परीक्षा द्वितीय अवसर –	
	दो विषय तक	₹1000/-
	चार विषय तक	₹2000/-
	चार से अधिक विषय	₹4000/-
9	ग्राहयता शुल्क (अन्य बोर्ड से आये छात्रों हेतु)	₹450/-
10	परीक्षा केन्द्र परिवर्तन शुल्क	₹300/-
11	विषय / माध्यम / संकाय परिवर्तन (प्रति विषय) शुल्क	₹300/-
12	स्वाध्यायी के आवेदन अप्रेषण एवं पात्रता की जांच करने हेतु को देय शुल्क	₹40/-
13	प्रतिलिपि अंकसूची / प्रमाण-पत्र / माईग्रेशन (10 वर्ष के अभिलेख)	₹300/-
14	प्रतिलिपि अंकसूची / प्रमाण-पत्र / माईग्रेशन (10 वर्ष से पुराने अभिलेख)	₹400/-
15	सत्यापन – अंकसूची / प्रमाण-पत्र / माईग्रेशन (10 वर्ष के)	₹300/-
16	सत्यापन – अंकसूची / प्रमाण-पत्र / माईग्रेशन (10 वर्ष से पुराने)	₹400/-
17	अंकसूची / प्रमाण-पत्र / माईग्रेशन में संशोधन (परीक्षाफल घोषणा से 03 माह तक)	निःशुल्क
18	अंकसूची / प्रमाण-पत्र / माईग्रेशन में संशोधन (03 माह से 01 वर्ष तक) प्रति अभिलेख	₹250/-
19	अंकसूची / प्रमाण-पत्र / माईग्रेशन में संशोधन (01 वर्ष से पुराने) प्रति अभिलेख	₹300/-
20	माईग्रेशन प्रमाण-पत्र शुल्क	₹200/-
21	सम्बद्धता शुल्क –	
	10वीं नवीन सम्बद्धता	₹16,000/-
	12वीं नवीन सम्बद्धता	₹22,000/-
	10वीं नवीनीकरण	₹4,500/-
	12वीं नवीनीकरण	₹6,000/-


 सचिव
 माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
 मध्यप्रदेश, भोपाल

मण्डल की परीक्षाओं के लिये ऑनलाइन (on line) आवेदन भरने निर्देश

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा शिक्षण सत्र 2018–19 में आयोजित की जाने वाली हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी एवं व्यावसायिक परीक्षाओं के आवेदन पत्र मान्यता प्राप्त संस्थाओं के नियमित छात्रों के प्रवेश एवं परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका पुस्तिका में संलग्न है। छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र (नियमित/स्वाध्यायी) केवल ऑन लाईन प्रक्रिया से दिनांक 01.07.2018 से 12.08.2018 तक सामान्य शुल्क के साथ भरे जा सकेंगे। 12 अगस्त 2018 के पश्चात् unpaid रह गये नियमित छात्रों के परीक्षा शुल्क 30 जिस्टंबर 2018 तक परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त राशि ₹2000/- विलम्ब शुल्क के साथ तथा इसके पश्चात् भी रह गये छात्र 31 दिसम्बर 2018 तक परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त राशि ₹ 5000/-विशेष विलंब शुल्क Online जमा कर सकेंगे, किन्तु ऐसे छात्रों का प्रवेश 31 जुलाई तक किया गया हो तथा ऐसे छात्रों के परीक्षा आवेदन—पत्र 12 अगस्त तक Online भरे गये हो लेकिन शुल्क जमा नहीं की गई हो। 12 अगस्त के पश्चात् भरे गये नवीन परीक्षा आवेदन—पत्र केवल स्वाध्यायी रूप से नियत विलंब शुल्क के साथ मान्य होंगे नियमित नहीं। अतः यह सुनिश्चित करना संस्था प्राचार्य का दायित्व होगा कि, 31 जुलाई तक प्रवेशित सभी नियमित छात्रों के परीक्षा आवेदन—पत्र निर्धारित तिथि तक Online भर दिये गये हैं। इन तिथियों के पश्चात् कोई भी आवेदन—पत्र मान्य नहीं किये जावेंगे। इसी प्रकार स्वाध्यायी छात्र भी दिनांक 12 अगस्त 2018 के पश्चात् उक्तानुसार विलम्ब शुल्क जमा कर आवेदन पत्र भर सकेंगे। इन तिथियों के पश्चात् कोई भी आवेदन—पत्र मान्य नहीं किये जावेंगे। ऑन लाईन आवेदन पत्र भरने के विस्तृत निर्देश निम्नानुसार है—

(अ) नियमित छात्र हेतु पात्रता

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा शिक्षण सत्र 2018–19 में आयोजित की जाने वाली हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी एवं व्यावसायिक परीक्षा के लिए मान्यता प्राप्त संस्थाओं में प्रवेश हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका के निर्देशानुसार समस्त कक्षाओं की प्रवेश सूची/परीक्षा आवेदन पत्र जगा करने की प्रक्रिया के अनुसार ही परीक्षा आवेदन पत्र भी ऑनलाइन भरे जावेंगे। निर्धारित तिथि 31.07.2018 तक प्रवेशित छात्र मण्डल द्वारा जारी निर्देशानुसार परीक्षा आवेदन पत्र भरे जा सकेंगे। स्क्रीन पर छात्र का डाटा डिस्प्ले होने पर छात्र के केवल पाठ्यक्रम अनुसार चयनित विषय की पृष्ठियां कर, निर्धारित शुल्क mponline परीक्षा आवेदन भरने की कार्यवाही की जावे। परीक्षा आवेदन ऑनलाइन भरते समय किसी भी नाम का प्रथम करेक्टर के संशोधन की अनुमति नहीं होगी। छात्र, पिता एवं माता के नाम में स्पेलिंग त्रुटियों में सुधार की अनुमति होगी।

अन्य राज्य/अन्य मण्डलों से उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण छात्र मण्डल से सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं में प्रवेशित (कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं) छात्रों के ऑनलाइन नामांकन फार्म/प्रवेश सूची/परीक्षा आवेदन फार्म के साथ प्रवेश प्रक्रिया में उल्लेखनीय पात्रता दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति दिनांक 12.08.2018 तक अपलोड की जाना आवश्यक होगी।

यह सुनिश्चित करना संस्था प्राचार्य, अभिभावक एवं छात्र का होगा कि, निर्धारित तिथियों में समस्त दस्तावेजों को Upload कर दिया गया है, यदि कोई दस्तावेज Upload करने से रह गया हो तो ऐसे दस्तावेज दिनांक 19 अगस्त 2018 तक Upload किया जा सकेंगे। अर्हकारी परीक्षा हेतु Upload किये गये दस्तावेज के अतिरिक्त कोई भी मेन्यूवली दस्तावेज मान्य नहीं किये जावेंगे।

(1) विशेष निर्देश —

- 1.1 कक्षा 12वीं के आवेदन पत्र भरने के लिये स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाली जानकारी छात्र, पिता, माता का नाम, जन्मतिथि, परिवर्तनीय नहीं है। छात्रों संबंधी शेष समस्त जानकारी की प्रविष्टी करते हुए निर्धारित शुल्क का भुगतान कर परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। किसी भी परिस्थिति में मेन्यूअल फार्म नहीं भरवाये जायेंगे।
- 1.2 हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी/अन्य परीक्षाओं के नियमित छात्रों के परीक्षा आवेदनपत्र (प्रदेश व अन्य राज्य/अन्य मण्डलों) तथा कक्षा 9वीं एवं 11वीं के अन्य राज्यों/अन्य मण्डलों के छात्रों के नामांकन फार्म ऑनलाइन जमा करने के उपरांत आवेदन का प्रिंट आउट कियोस्क से प्राप्त कर पात्रता संबंधी वांछित दस्तावेज तथा नामिनलरोल निर्धारित तिथि 22 अगस्त 2018 तक जिले की समन्वयक संस्था में जमा करेंगे। विलम्ब शुल्क ₹ 2000/- के साथ जमा परीक्षा आवेदन पत्रों के दस्तावेज दिनांक 05.10.2018 तथा विलम्ब शुल्क ₹ 5000/- के साथ जमा परीक्षा आवेदन पत्रों के दस्तावेज दिनांक 05.01.2019 तक जिले के समन्वय संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा।

- 1.3 संभागीय कार्यालय का प्रतिनिधि क्रमशः दिनांक 22.08.2018, 05.10.2018 एवं 05.01.2019 तक जिले की समन्वयक संस्था से समस्त आवेदन पत्र एवं दस्तावेज प्राप्त करेगे। इन आवेदन पत्र एवं दस्तावेज की जांच संभागीय कार्यालय में कराई जावेगी। संभागीय अधिकारी द्वारा नियमित छात्रों की पात्रता संबंधी जांच पूर्ण कर क्रमशः दिनांक 30.09.2018, 30.10.2018 एवं 20.01.2019 तक अपात्र छात्रों की जानकारी से मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये संबंधित अग्रेषण संस्था तथा छात्र को अवगत कराये।

(ब) स्वाध्यायी छात्र हेतु ऑन लाईन प्रक्रिया

प्रत्येक शासकीय/अशासकीय अग्रेषण संस्थाओं के लिये प्रत्येक परीक्षा हेतु स्वाध्यायी परीक्षा फार्म अग्रेषण करने की अधिकतम संख्या 300 निर्धारित है। समस्त जिले की समन्वय संस्था के लिये यह सीमा लागू नहीं होगी। संबंधित संस्था केवल उन्हीं परीक्षा एवं संकाय के आवेदन फार्म अग्रेषित कर सकेंगी, जिस परीक्षा एवं संकाय की मण्डल से सम्बद्धता प्राप्त है।

1. हाईस्कूल परीक्षा में निम्न परीक्षार्थी स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे

- 1.1 कक्षा 8वीं की परीक्षा, मार्च 2017 या उसके पूर्व उत्तीर्ण परीक्षार्थी।
- 1.2 मार्च 2018 अथवा उसके पूर्व माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश की 10वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी।
- 1.3 मार्च 2018 अथवा उसके पूर्व माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश की समकक्ष अन्य बोर्ड अथवा परीक्षा निकायों की कक्षा 10वीं की परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी।
- 1.4 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित कक्षा 10वीं के स्थानीय लोकल परीक्षा को मण्डल की दसवीं परीक्षा के समतुल्य मान्य किया गया है। ये छात्र भी स्वाध्यायी रूप से परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।

2. हायर सेकेण्डरी/हा.से. व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा में निम्न परीक्षार्थी स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे :—

- 2.1 मार्च 2017 अथवा इसके पूर्व माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश की कक्षा 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी।
- 2.2 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश की समकक्षता प्राप्त अन्य मण्डलों एवं परीक्षा निकायों से मार्च 2017 या उसके पूर्व 10वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी।
- 2.3 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश की मार्च 2018 की कक्षा 12वीं/12वीं व्यावसायिक की परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी।
- 2.4 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश की समकक्षता प्राप्त अन्य मण्डल अथवा परीक्षा निकायों से मार्च 2018 उसके पूर्व कक्षा 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी।
- 2.5 व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए दो निरंतर अवसर प्रदान किये जायेंगे। छात्र दूसरे अवसर (पूरक परीक्षा) में प्रथम अवसर के अनुत्तीर्ण विषयों की परीक्षा दे सकेंगे।

3. हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा के स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिये ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने की प्रक्रिया।

- 3.1 हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षाओं के स्वाध्यायी परीक्षार्थी परीक्षा आवेदन भरने के लिए सर्वप्रथम मण्डल की वेबसाईट www.mpbse.nic.in अथवा mpbse.Online.gov.in से परीक्षा आवेदन पत्र का प्रारूप डाउन लोड करेंगे।
- 3.2 इस प्रारूप में समस्त प्रविष्टियां छात्र स्वयं की हस्तालिपि में भरेंगे। अग्रेषण संस्था क्रमांक (school code) एवं ब्लॉक कोड अग्रेषण संस्था के प्राचार्य द्वारा ही भरा जायेगा।
- 3.3 परीक्षार्थी स्वयं समस्त जानकारी भरने के उपरांत परीक्षा में बैठने की पात्रता संबंधी दस्तावेज संलग्न करते हुए किसी भी मान्यता प्राप्त शासकीय/अशासकीय अग्रेषण संस्था में आवेदन पत्र की जांच करायेंगे। किसी भी प्रकार की दस्तावेजों की कमी अथवा त्रुटि पूर्ण/अपूर्ण जानकारी जैसे फोटो न होना, के लिये संबंधित संस्था प्राचार्य/अग्रेषणकर्ता संस्था प्राचार्य की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। ऐसा पाये जाने पर मण्डल विनियम व परीक्षा अधिनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित संस्था प्राचार्य के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

- 3.4 परीक्षार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र की पात्रता संबंधी जांच प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर करके पात्र पाए जाने पर आवेदन—पत्र को अग्रेषण संस्था के प्राचार्य अपने हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा लगाकर अग्रेषित करेंगे। अग्रेषित आवेदन—पत्र की ऑनलाईन प्रविष्ट एम.पी. ऑनलाईन के कियोस्क पर अग्रेषण संस्था प्राचार्य या उनके प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होकर कराई जायेगी। ऑन लाईन प्रविष्टि हेतु ₹25/- पोर्टल शुल्क कियोस्क संचालक को देय होगा। ऑनलाइन प्रविष्टि कराने हेतु छात्रों को कदापि न भेजा जावे तथा अग्रेषण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक परीक्षा हेतु अग्रेषित फार्मों की संख्या 300 से अधिक न हो। समस्त जिलों की समन्वय संस्था के लिये यह सीमा लागू नहीं होगी। साथ ही जिले की समन्वयक संस्था को छोड़कर शेष संस्थायें यह भी सुनिश्चित किया जावे कि संस्थाओं को जिस परीक्षा एवं संकाय की मान्यता/सम्बद्धता है, उसी परीक्षा फार्म अग्रेषित किया गया है।
- 3.5 कियोस्क संचालक केवल मान्यता प्राप्त संस्था के प्राचार्य से अग्रेषित आवेदनों की ही प्रविष्टि करेंगे। यदि किसी कियोस्क संचालक द्वारा ऐसे आवेदन की प्रविष्टि किया जाना पाया जाता है जो किसी प्राचार्य से अग्रेषित नहीं है तो ऐसे कियोस्क के लायसेंस निरस्ती करने की सूचना मण्डल द्वारा एम पी ऑनलाईन को दी जायेगी।
- 3.6 ऑनलाईन आवेदन—पत्र की प्रविष्टि कराने के उपरांत आवेदक को कियोस्क संचालक द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र का प्रिंट आउट उपलब्ध कराया जाएगा। प्रिंट आउट की सूक्ष्मता से जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि उसमें स्पेलिंग संबंधी या अन्य कोई त्रुटि नहीं है, यदि कोई त्रुटि है तो कियोस्क पर त्रुटि सुधार कराया जाए।
- 3.7 त्रुटि रहित परीक्षा आवेदन का प्रिंट आउट प्राप्त होने पर पात्रता संबंधी दस्तावेज एवं कियोस्क से प्राप्त पावती सहित इसे अग्रेषण संस्था (**F.O**) में निर्धारित तिथि के पूर्व संकलित करें।
- 3.8 अग्रेषण संस्था के प्राचार्य द्वारा अंतिम तिथि उपरांत समस्त अग्रेषित ऑनलाईन आवेदन—पत्रों की सूची (नामिनल रोल) एवं आवेदन—पत्र दस्तावेजों सहित समन्वयक संस्था में अंतिम तिथि 22.08.2018 तक जिले की समन्वयक संस्था में जमा करेंगे। विलम्ब शुल्क ₹ 2000/- के साथ जमा परीक्षा आवेदन—पत्रों के दस्तावेज दिनांक 05.10.2018 तथा विलम्ब शुल्क ₹ 5000/- के साथ जमा परीक्षा आवेदन—पत्रों के दस्तावेज दिनांक 05.01.2019 तक जिले के समन्वय संस्था में जमा करेंगे। संभागीय कार्यालय का प्रतिनिधि क्रमशः दिनांक 22.08.2018, 05.10.2018 एवं 05.01.2019 तक जिले की समन्वयक संस्था से समस्त आवेदन—पत्र एवं दस्तावेज प्राप्त करेंगे। इन आवेदन—पत्र एवं दस्तावेज की जांच संभागीय कार्यालय में कराई जावेगी।
- 3.9 संभागीय कार्यालय को संस्थावार नियमित/स्वाध्यायी ऑनलाईन आवेदन—पत्रों की सूची क्रमशः 22.08.2018, 05.10.2018 एवं 05.12.2018 तक मण्डल मुख्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। जिसका मिलान अग्रेषण संस्था से प्राप्त सूची एवं आवेदन—पत्रों से किया जाएगा। संभागीय अधिकारी द्वारा स्वाध्यायी छात्रों की पात्रता संबंधी जांच पूर्ण कर क्रमशः दिनांक 30.09.2018, 30.10.2018 एवं 20.01.2019 तक अपात्र छात्रों की जानकारी मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये संबंधित अग्रेषण संस्था तथा छात्र को अवगत कराये।
- 3.10 अग्रेषण संस्था प्राचार्य अग्रेषण शुल्क ₹40/- छात्रों से पृथक से आवेदन अग्रेषण करते समय प्राप्त करेंगे। जिसमें संस्था प्रमुख/प्राचार्य को ₹15/- एवं सहायक अग्रेषणकर्ता शिक्षक को ₹ 25/- देय होगा।
- 3.11 कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं में स्वाध्यायी रूप से सम्मिलित होने वाले ऐसे नवीन परीक्षार्थी जिनका नामांकन पूर्व में मण्डल से नहीं हुआ है, उनका नामांकन कक्षा 10वीं के लिए E सीरीज तथा कक्षा 12वीं के लिए F सीरीज से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अग्रेषण संस्था प्राचार्य द्वारा कराया जाएगा। इस हेतु नामांकन शुल्क ₹ 250/- परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त कियोस्क पर जमा करना होगा।
- 3.12 ऐसे परीक्षार्थी जो अन्य राज्य/अन्य बोर्ड के हैं उन्हें स्वाध्यायी परीक्षार्थी परीक्षा आवेदन—पत्र के साथ अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची, प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांसफर सर्टिफिकेट (पूर्व पात्रता परीक्षा नियमित उत्तीर्ण होने की स्थिति में) एवं प्रवजन (माईग्रेशन) प्रमाण—पत्र (केवल 12वीं हेतु) दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति दिनांक 12 अगस्त 2018 तक अपलोड की जाना एवं छात्र से स्वप्रमाणित एवं अग्रेषण संस्था प्राचार्य से प्रमाणित दस्तावेज मण्डल के समन्वयक संस्था में जमा करना आवश्यक होगा। यह सुनिश्चित करना अग्रेषण संस्था प्राचार्य, अभिभावक एवं छात्र का होगा कि, निर्धारित तिथियों में समस्त दस्तावेजों को Upload कर दिया गया है, यदि कोई दस्तावेज Upload करने से रह गया हो तो ऐसे दस्तावेज दिनांक 19 अगस्त 2018 तक Upload किया जा सकेगा। अर्हकारी परीक्षा हेतु Upload किये गये दस्तावेज के अतिरिक्त कोई भी मेन्यूवली दस्तावेज मान्य नहीं किये जावेगे। ऐसे ₹450/- एवं नामांकन शुल्क ₹ 250/- mponline के कियोस्क पर परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त देय होगा।

4. हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी परीक्षा नियमित एवं स्वाध्यायी परीक्षार्थीयों के लिये सामान्य निर्देश

- 4.1 छात्रों के आवेदन—पत्र भरे जाने में विशेष सावधानी की आवश्यकता है, जो कि छात्र के साथ—साथ प्राचार्य/अग्रेषणकर्ता संस्था प्राचार्य का भी दायित्व है। पूर्व वर्षों में यह देखने में आया है कि, नामांकन में छात्रों की त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण परीक्षा के पर्व तथा परीक्षा परिणाम के उपरान्त अंकसूचियों में संशोधन के लिये अत्यधिक संख्या में प्रकरण उत्पन्न होते हैं। जिसके कारण छात्रों एवं अभिभावकों को अत्यधिक परेशानी होती है।
- अतः संबंधित संस्था प्राचार्य/अग्रेषणकर्ता संस्था प्राचार्य का दायित्व होगा कि, किसी भी छात्र का, किसी भी कक्षा के लिये नामांकन/आवेदन—पत्र भरने के दौरान व उपरान्त, नामांकन/आवेदन—पत्र में भरी गई जानकारियों जैसे छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि आदि विवरण की पुष्टि संबंधित छात्र एवं उसके अभिभावक से अनिवार्यतः कराई जावे, जिससे आवेदन—पत्र में कोई लिपिकीय त्रुटि न रहे एवं नामांकन आवेदन—पत्र पर उनके हस्ताक्षर भी प्राप्त किये जावे। समुचित परीक्षण उपरान्त नामांकन फार्म भरने से बाद में अंकसूचियों में संशोधन की स्थिति निर्मित नहीं होगी। उक्त निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में संबंधित अग्रेषणकर्ता संस्था प्राचार्य उत्तरदायी होंगे एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 4.2 संबंधित संस्था प्राचार्य के माध्यम से पूर्व में कक्षा 9वीं/11वीं के नामांकन आवेदन—पत्र में भरी गई जानकारियों का सम्पूर्ण डाटा परिवर्तित किये बिना, लिपिकीय त्रुटियों को संस्था में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर संस्था प्राचार्य के प्रमाणीकरण के आधार पर, जिस कियोस्क से नामांकन एवं परीक्षा आवेदन पत्र भरे गये हैं, उसी कियोस्क से त्रुटियों का सुधार किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार के आधार का संपूर्ण दायित्व संस्था प्राचार्य का होगा। उपरोक्त शर्तों के अध्याधीन कक्षा 10वीं एवं 12वीं में विषय संशोधन, अतिरिक्त विषय जोड़ने/हटाने (शुल्क का अतिरिक्त भुगतान करने पर) की भी सुविधा रहेगी।
- 4.3 डिजिटल केमरे से लिया हुआ नाम एवं दिनांक युक्त, छात्र का रंगीन फोटोग्राफ, स्केन कर आवेदन—पत्र भर सकेंगे। आवेदन पत्र में फोटो स्केन किया जाना आवश्यक है। नियमित कक्षा 10वीं के जिन छात्रों की फोटो नामांकन अथवा रोलनम्बर प्रविष्ट करने पर डिस्ले हो रही है ऐसे छात्रों की फोटो पुनः स्केन नहीं करायी जाना है। कक्षा 10वीं स्वाध्यायी छात्रों एवं कक्षा 12वीं के सभी छात्रों (नियमित/स्वाध्यायी) के नवीन फोटो स्केन की जाना अनिवार्य है।
- 4.4 वर्ष 2017 एवं 2018 की मण्डल परीक्षाओं में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण रहे छात्र श्रेणी सुधार हेतु वर्ष 2018 की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं ऐसे छात्र पूर्व उत्तीर्ण परीक्षा का रोलनंबर कियोस्क पर प्रविष्टी करते हुए अपना ऑन लाईन परीक्षा आवेदन—पत्र भर सकते हैं। इस श्रेणी के नियमित छात्र वर्तमान संस्था का कोड तथा स्वाध्यायी छात्र अग्रेषण संस्था के कोड की प्रविष्टी करते हुए आवेदन—भर सकेंगे। विषय परिवर्तन किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा।
- 4.5 नियमित/स्वाध्यायी छात्र मण्डल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार ही अतिरिक्त विषय का चयन कर सकेंगे।
- 4.6 नेत्रहीन, मूक बधिर एवं स्पास्टिक सेरेबिल पॉलसी (मानसिक रूप से विकृत) वर्ग के छात्र मण्डल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार ही विषयों का चयन कर सकेंगे। इस श्रेणी के हाईस्कूल परीक्षार्थीयों का आवेदन ऑनलाईन भरते समय विषयों के कोड सावधानी से भरे जाये एवं विशेष ध्यान रखा जाये कि संगीत एवं चित्रकला विषय लिये जाने पर निर्धारित स्थान पर कोड भरे जाये।
- 4.7 विषय एवं ब्लाक कोड लिस्ट मण्डल की वेबसाईट पर उपलब्ध है साथ ही पुस्तिका के साथ भी संलग्न है। तदानुसार ही आवेदन में सही कोड अंकित किये जाए।
- 4.8 समस्त नियमित परीक्षा आवेदन—पत्र संस्था प्राचार्य उनके अधिकृत प्रतिनिधि स्वयं भरेंगे। किसी भी स्थिति में परीक्षार्थीयों कियोस्क नहीं भेजा जाए।
- 4.9 एक संस्था के लिए सम्पूर्ण कार्यवाही किसी एक कियोस्क से ही की जाए। एक से अधिक कियोस्क के माध्यम से प्रविष्टी की अनुमति नहीं है।
- 4.10 किसी भी कियोस्क द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूली जाती है तो mponline के हेल्प लाईन नम्बर 0755—4019400 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

- 4.11 अन्य राज्य/अन्य बोर्ड के छात्रों के आवेदन—पत्र भरने के उपरान्त परीक्षा आवेदन फार्म के साथ छात्र द्वारा स्वप्रमाणित दस्तावेजों की छायाप्रति व मूलप्रति नियत तिथि में समन्वय संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा।

5. विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा (DPSE) के आवेदन ऑनलाइन करने की प्रक्रिया एवं पात्रता

- 5.1 विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा के आवेदन ऑनलाइन भरने हेतु मण्डल की वेबसाइट से निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप का प्रिन्ट ऑउट निकाल कर निर्धारित कालमों में जानकारी की प्रविष्टि करने उपरांत निकट के कियोस्क पर आनलाइन आवेदन भर सकेंगे।
- 5.2 परीक्षा में प्रवेश के लिए मध्यप्रदेश, माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हायर सेकेण्डरी+2 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- 5.3 इस परीक्षा हेतु द्वि—वर्षीय पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना लागू की गई है। नवीन पाठ्यक्रमानुसार परीक्षा आयोजित की जाएगी।

6. शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा के आवेदन ऑनलाइन करने की प्रक्रिया एवं पात्रता

- 6.1 शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा के आवेदन ऑनलाइन भरने हेतु मण्डल की वेबसाइट से आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप का प्रिन्ट ऑउट निकाल कर निर्धारित कालमों में जानकारी की प्रविष्टि करने उपरांत निकट के कियोस्क पर आनलाइन आवेदन भर सकेंगे।
- 6.2 परीक्षा में प्रवेश के लिए मध्यप्रदेश, मा.शि. मण्डल की हायर सेकेण्डरी +2 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- 6.3 छात्र को द्विवर्षीय पाठ्यक्रम की परीक्षा के लिये दो अवसर निरंतर दिये जाएंगे। प्रथम अवसर में अनुत्तीर्ण विषयों को द्वितीय अवसर में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यदि द्वितीय अवसर में छात्र उत्तीर्ण नहीं होता है तो उसकी संपूर्ण परीक्षा निरस्त मानी जावेगी।

उक्त परीक्षाओं में सम्मिलित छात्रों का नामांकन निम्नानुसार आवंटित किये जावेंगे—

1. विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा — G- वर्ष/संस्था कोड/01
2. शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा — H- वर्ष/संस्था कोड/01


7. संस्था/परीक्षार्थी निम्न माध्यमों से परीक्षाओं की शुल्क जमा कर सकते हैं :-

- 7.1 निकटस्थ mponline के अधिकृत किसी भी निजी कियोस्क पर जाकर निर्धारित शुल्क एवं पोर्टल चार्जेस का नगद भुगतान करते हुए अथवा mponline की वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in के माध्यम से क्रेडिट कार्ड/डेबिट शुल्क का भुगतान करके भी आवेदन किया जा सकता है।
- 7.2 संस्था प्राचार्य प्राप्त आवेदन एवं दस्तावेजों के आधार पर छात्रों की पात्रता की जांच करते हुए उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे। छात्र उपरोक्त निर्देशों से भलि भाँति अवगत हो सके इसके लिए निर्देशों को नोटिस बोर्ड पर चर्चा भी किये जाए।

2016
सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रतिलिपि :-

- 1— निज सचिव—अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल।
- 2— निज सहायक—प्रमुख सचिव / सचिव म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग / आदिम जाति / अनु. जाति, कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 3— कमिश्नर, समस्त राजस्व संभाग, मध्यप्रदेश।
- 4— आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल
- 5— आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
- 6— आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, श्यामला हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश।
- 7— संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल
- 8— समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
- 9— समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
- 10— संयुक्त संचालक, शिक्षा समस्त, मध्यप्रदेश।
- 11— सहायक आयुक्त, समस्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
- 12— समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
- 13— माननीय मण्डल सदस्य, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश।
- 14— आंचलिक अधिकारी / समस्त, संभागीय अधि. / समस्त स.स. / क.आ. परीक्षा संभाग एवं लोक सूचना कक्ष।
- 15— पंजीयक परीक्षा / जनसम्पर्क अधि. / विधि अधिकारी / सी.एस.ओ. / वित्ताधिकारी, मा.शि.मंडल भोपाल।
- 16— नि.स.— सचिव / अतिरिक्त सचिव / परीक्षा नियंत्रक / उपसचिव मा.शि.म.मंडल।
- 17— प्राचार्य, समस्त मान्यता प्राप्त संस्थायें, मध्यप्रदेश।
- 18— लोक सूचना अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल
- 19— संचालक, **MPOnline** मध्यप्रदेश।
- 20— विशेष सहायक, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


 सचिव
 माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
 मध्यप्रदेश, भोपाल



अनुसूचित जाति/जनजाति के परीक्षार्थी के नाते परीक्षा शुल्क में
छूट प्रदान करने विषयक प्रपत्र।

नियमित/स्वाध्यायी

1. परीक्षार्थी का शपथ पत्र

मैं श्री/श्रीमति/कुमारी.....आत्मज/आत्मजा/पत्नी श्री..... शपथ पूर्वक
कहता/कहती हूँ कि मैं ग्राम.....तहसील.....जिला.....का/की मूल निवासी हूँ। मेरी
अनुसूचित जाति/जनजाति.....(उपजाति/उपजनजाति.....ह) तथा मेरा धर्म..... है।
मेरी अनुसूचित जाति/जनजाति सूची के स.क्र.....पर अंकित है।

1. मण्डल की वर्ष.....की हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा में बैठने का मेरा पहला अवसर है।
2. मेरी तथा मेरे परिवार की समस्त स्रोतों से –
(अनुसूचित जाति) वार्षिक आय रु. 1.00 (एक लाख) से अधिक नहीं है।
(अनुसूचित जनजाति) वार्षिक आय रु. 1.08 (एक लाख आठ हजार) से अधिक नहीं है।
3. अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति संलग्न है।

दिनांक.....

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर एवं नाम

2. नियमित हेतु शाला के प्राचार्य का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा/श्री/श्रीमती/कुमारी.....आत्मज/आत्मजा/पत्नी.
.....को इस शाला में वर्षकी कक्षा.....में प्रवेश दिया गया था। शाला के
अभिलेख के अनुसार छात्र/छात्रा की अनुसूचित जाति/जनजाति.....(उपजाति/उपजनजाति.....
है।) छात्र/छात्रा का धर्महै।

1. छात्र/छात्रा का मण्डल की वर्ष.....की हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा में बैठने का प्रथम अवसर है।
2. छात्र/छात्रा द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र की मेरे द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है,
जिसके अनुसार छात्र एवं उसके परिवार की समस्त स्रोतों से –
(अनुसूचित जाति) वार्षिक आय रु. 1.00 (एक लाख) से अधिक नहीं है।
(अनुसूचित जनजाति) वार्षिक आय रु. 1.08 (एक लाख आठ हजार) से अधिक नहीं है।
3. छात्र द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र की मेरे द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। जिसका मैंने
मूल जाति प्रमाण-पत्र से मिलान कर लिया है।

शाला प्राचार्य/अग्रेषण अधिकारी
(संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर)
एवं पद मुद्रा

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

नोट:-

- (1) मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का क्रमांक/एफ-12/65/2008
/4/25 भोपाल दिनांक 02.03.2009 एवं पत्र क्रमांक एफ-12-6/2007/दो/पच्चीस, दिनांक 28.02.2008
 - (2) राज्य शासन द्वारा तद विषयक जाति/ आय प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु निम्न अधिकारियों को अधिकृत किया
गया है। इनके अतिरिक्त अन्य किसी स्तर के अधिकारियों द्वारा जारी किया गया जाति/आय प्रमाण-पत्र मान्य
नहीं होगा। मान्य जातियों की सूची परिशिष्ट-‘दो’ में देखे।
1. कलेक्टर / एडीशनल कलेक्टर / डिप्टी कलेक्टर / एस डी ओ / सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट
 2. तहसीलदार 3.नायब तहसीलदार 4. परियोजना प्रशासन/ अधिकारी, (वृहत/मध्यम/लघु) एकीकृत आदिवासी
विकास, परियोजना

यह सूची मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 49-1907-1 ह.आ से दिनांक 31 जनवरी
1978 द्वारा जारी की गयी है। अन्य कोई जाति मान्य नहीं है। यदि कोई छात्र उक्त जाति के अलावा अन्य जाति का
प्रमाण पत्र देगा तो वह मान्य नहीं होगा। उसे निर्धारित सम्पूर्ण शुल्क का भुगतान करना होगा।



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल

मध्यप्रदेश की अनुसूचित जातियाँ

परिशिष्ट-2

1. औधलिया, 2. बागरी, बागड़ी, 3. बहना, बहाना 4. बलाही, बलाई 5. बाछडा 6. बराहर, बसोड 7 बरगुंडा 8. बसोर बुरुड, बंसोर बंसोरी, बांसफोर, बसार 9. बेडिया 10. बेलदार, सुन्कर 11. भंगी, मेहतर, बाल्मीक, लालवेगी, धरकर 12. भानुमती 13. चडार 14. चमार, चमारी, बैरवा, भांवी, जाटव, मोची, रैंगर, नौना, रोहीदास, रामनामा, सतनामी, सूर्यवंशी, सूर्य रामनामी, अहिरवार, चमारमांगन, रैदास 15. चिडार 16. चिकवा, चिकवी 17. चितार 18. दहायत, दहैत, दहात, 19. देवार 20. धानुक 21. ढेड, ढेर 22. धोबी (भोपाल, रायसेन, सीहोर जिलों में) 23. डोहोर 24. डोम, डुमार, डोमर, डोरीस 25. गांडा, गांडी 26. घासी, घसिया 27. होलिया 28. कंजर 29. कतिया, पथरिया 30. खटीक 31. कोली, कोरी 32. कोतवाल, (भिण्ड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इंदौर, झाबुआ, खरगौन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन तथा विदिशा जिला में) 33. खंगार, कनेरा, मिरधा 34. कुचबंधिया 35. कुम्हार (छतरपुर, दतिया, पन्ना, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी ओर टीकमगढ जिलों में) 36. महार, मेहरा, मेहर 37. मांग, मांग गरोड़ी, मांग गरुड़ी, दनखनी मांग, मांग महाशी, मदारी, गरुड़ी, राधे मांग 38. मेघवाल 39. मोधिया 40. मुसखान 41. नट, काल बेलिया, सपेरा, नवदिगार, कुबूतर 42. पारधी, (भिण्ड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इंदौर, झाबुआ, खरगौन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन तथा विदिशा जिलों में) 43. पासी 44. रुज्जर 45. सांसी, सांसिया 46. सिलावट 47. झमराल।

मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजातियाँ

1. अगरिया 2. आंध 3. बैगा 4. मैना 5. भारिया, भूमिया, भुंझर, भूमिया, भारिया, पालिहा, पांडो 6. भतरा 7. भील, भिलाला, बारेला, पटेलिया 8. भील मीना 9. भुन्जिया 11. बिअर, बियार 11. बिन्जवार 12. बिरहुल, बिरहोर 13. डामोर, डामरिया 14. धनवार 15. गडावा, गडवा 16. गौड, रख, अर्रख, अगरिया, असुर, बड़ी माडिया, बडा माडिया, भटोला, भिम्मा, भूता, कोयला भूता, कोलिया भूती, भार, बायसन हार्न माडिया, छोटा मांडिया, दंडामी माडिया घुरु, धुर्वा, धोवा, धूलिया, दोरला, गायको, गत्ता, गत्ती, गैटा, गौड, गोवारी, हिलमाडिया, कान्द्रा, कलंगा, खटोला, काईतार, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुचा माडिया, कुचाकीमाडिया, माडिया, मारिया, माना, मन्नेवार, मोधिया, मोगिया, मोध्या, मुडिया, मुरिया नागारची, नागवंशी, ओझा, राज, सोनझरी, झरेका, थाटिया, थोट्या, बडे माडिया दरोई 17. हल्वा, हल्वी 18. कुमार 19. कारकू 20. कबर, कंवरकौर चेरवा, राठिया, तंवर, क्षत्री 21. कीर (भोपाल, रायसेन एवं सीहोर जिलों में) 22. खैरबार, कोंदर 23. खारिया 24. कोंध, खोंड, कांध 25. कोल 26. कोलम 27. कोरक, बोंपची, मोबरी, निहाल, नाहुल, बोंधी, बेडिया 28. कोरबा, कोडकू 29. मांझी 30. मझवार 31. मवासी 32. मीना (विदिशा जिले की सिरोंज सब डिवीजन में) 33. मुण्डा 34. नागेसिया, नगासिया 35. उरांव, धनकर, धनगढ 36. पनिका (छतरपुर, दतिया, पन्ना, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी ओर टीकमगढ जिलों में) 37. पाव 38. परधान, पवारी, संरोती 39. पारधी (भोपाल, रायसेन ओर सीहोर जिलों में) 40. पारधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चीता पारधी, लांगोली पारधी, फांस पारधी, शिकारी टाकनकार, टाकिया (छिन्दवाडा, मण्डला, सिवनी जिलों में) बालाघाट जिले की बैहर तहसील में, बैतूल जिले की बैतूल, शाहपुर और भैंसदेही तहसीलों में जबलपुर जिले की मुडवारा विजराघवगढ, पाटन ओर सीहोरा तहसीलों में, होशंगाबाद जिले की, होशंगाबाद, इटारसी, बाबई, सोहागपुर, पिपरिया और बनखेंडी तहसीलों में तथा नरसिंहपुर जिले में खण्डवा जिले की हरसूद तहसील में), 41. परजा 42. सहरिया, सहारिया, सेरिया, सोसिया, सोर 43. साओंता, सोंता 44. सौर 45. सबर, सबरा 46. सोंर।

परीक्षा शुल्क से छूट हेतु प्रमाण पत्र का नमूना

<p>(1) राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत शिक्षक/शिक्षिका के पुत्र/पुत्री होने का प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी..... पुरस्कृत शिक्षक/शिक्षिका/श्री/कुमारी..... श्री/कुमारी..... का वर्ष है।</p> <p>दिनांक.....</p>	<p>राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत शिक्षक/शिक्षिका/श्री/कुमारी है। का परीक्षा में बैठने का प्रथम अवसर है।</p> <p>जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा विभाग जिला.....(मध्यप्रदेश) पद मुद्रा सहित</p>
<p>(2) मण्डल से मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से सेवा निवृत्त शिक्षक के पुत्र/पुत्री होने का प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी..... मण्डल से मान्यता प्राप्त..... उच्चतर माध्यमिक विद्यालय..... श्री/श्रीमती..... के पुत्र/पुत्री हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी..... का वर्ष है।</p> <p>दिनांक.....</p>	<p>मण्डल से मान्यता से सेवा निवृत्त शिक्षक के पुत्र/पुत्री हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि का परीक्षा में बैठने का प्रथम अवसर है।</p> <p>जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा विभाग जिला.....(मध्यप्रदेश) पद मुद्रा सहित</p>
<p>(3) मण्डल से मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिका के पुत्र/पुत्री होने का प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी..... मण्डल से मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षक/शिक्षिका श्री / श्रीमती..... कुमारी..... का वर्ष का परीक्षा में बैठने का प्रथम अवसर है।</p> <p>दिनांक.....</p>	<p>मण्डल से मान्यता में कार्यरत की पुत्री है। का परीक्षा में बैठने का प्रथम अवसर है।</p> <p>प्रति हस्ताक्षर जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा विभाग जिला.....(मध्यप्रदेश) पद मुद्रा सहित दिनांक.....</p>
<p>(4) आय प्रमाण पत्र (महिला परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा शुल्क से छूट हेतु आय प्रमाण पत्र) प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी/श्रीमती..... पुत्री/पत्नी श्री..... निवासी..... इनके पालक/अविभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ₹15000/- (रु. पन्द्रह हजार) से कम है। वर्ष..... की परीक्षा में बैठने का प्रथम अवसर है।</p> <p>दिनांक.....</p>	<p>संबंधित प्राचार्य (हस्ताक्षर पद मुद्रा सहित)</p> <p>कार्यालय मुख्याधिकारी अथवा रेवेन्यू अधिकारी (हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा सहित)</p>

BOARD OF SECONDARY EDUCATION M.P. BHOPAL
HIGH SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION
SUBJECT CODE LIST CLASS IX & X
YEAR- 2018-2019

(1) FIRST LANGUAGE (Special)		VOCATIONAL SUBJECT (OPTIONAL)	
Any one of the following		1. I.T.(NSQF)	863
1. Hindi Special	001	2. Security .(NSQF)	864
2. Urdu Special	008	3. Beauty & Wellness.....	865
3. English Special	011	4. Banking & financial Services.....	866
4. Sanskrit Special.....	012	5. Electrical Technology.....	867
(2) SECOND LANGUAGE (GENERAL)		6. Health care.....	868
1. Hindi General	401	7. Physical Education & Sports.....	869
2. English General	411	8. Retail.....	870
3. Sanskrit General (Only for IX).....	512	9. Travel & Tourism.....	871
(3) THIRD LANGUAGE (General)			
1. Hindi General	401		
2. English General	411		
3. Marathi General	502		
4. Bengali General	503		
5. Gujarati General	504		
6. Telugu General	505		
7. Tamil General	506		

नोट :-

- प्रत्येक छात्र को मांगा विषयों में हिन्दी एवं अंग्रेजी लेना अनिवार्य है। (NSQF के तहत केवल व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं के लिए) व्यावसायिक शिक्षा के विषय हाइस्कूल परीक्षा में तृतीय भाषा के स्थान पर लिए जा सकते हैं।
- नेत्रहीन छात्र गणित के स्थान पर संगीत ले सकते हैं।
- नेत्रहीन, मूक-बधिर तथा मानसिक रूप से विकलांग छात्रों को विशेष भाषा की छूट को पूर्यवत् रखते हुए उन्हें दो सामान्य भाषाओं में से एक सामान्य भाषा से और छूट प्रदान की गई है अर्थात् इन परीक्षाविधियों को सामान्य हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से कोई एक भाषा लेना अनिवार्य होगा।
- प्रत्येक भाषा समूह से केवल एक भाषा का चयन करना है। जिस भाषा का चयन एक समूह से किया है, उसका चयन दूसरे समूह में नहीं किया जा सकता।

HIGHER SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION
SUBJECT CODE LIST CLASS XI & XII
YEAR- 2018-2019

FIRST LANGUAGE (Special)	DIVERSIFIED SUBJECTS <i>(Candidate shall offer three subjects from any one of the following groups)</i>	COMMERCE GROUP GROUP CODE - 3	SCIENCE BIO. GROUP GROUP CODE - 7	VOCATIONAL SUBJECT (OPTIONAL)
Any one of the following 001 Hindi 002 English 003 Sanskrit 005 Urdu	HUMANITIES GROUP GROUP CODE - 1 A - (At least two or three subjects shall be offered from the following) 110 History 120 Geography 130 Political Science 140 Economics B - Any one of the following if only two subjects offered from part A 150 Mathematics 151 Informatic Practices 161 Indian Music 162 Drawing & Designing 165 Agriculture 166 Sociology 167 Psychology 168 Home Science (Anat. Phys. & Hygins)	310 Business Studies 320 Book Keeping & Accountancy (Any one Subject from following) 150 Mathematics 151 Informatic Practices 331 Business Economics	210 Physics 220 Chemistry 231 Biology	1 I.T. (NSQF) 963 2 Security (NSQF) 964
SECONDE LANGUAGE (General) Any one of the following subject not already offered 051 Hindi 052 English 053 Sanskrit 054 Marathi 055 Urdu 056 Punjabi 057 Sindhi 058 Bengali 059 Gujarati 060 Telugu 061 Tamil 062 Malayalam 063 Arabic 064 Persian 065 French 066 Russian 067 Kannad 068 Oriya	AGRICULTURE GROUP GROUP CODE - 4 410 Element of Science & Maths Useful for Agriculture 420 Crop Production & Horticulture 430 Animal Hus. Milk trade, Poultry farming & fishery	410 Element of Science & Maths Useful for Agriculture 420 Crop Production & Horticulture 430 Animal Hus. Milk trade, Poultry farming & fishery	LANGUAGE GROUP GROUP CODE - 8 A - (Any one language not already offered as first language (Special)) 001 Hindi Special 002 English Special 003 Sanskrit Special 005 Urdu Special	Only For XI 3 Beauty & Wellness..... 965 4 Banking & financial Services..... 966 5 Electrical Technology..... 967 6 Health care..... 968 7 Physical Education & Sports..... 969 8 Retail..... 970 9 Travel & Tourism..... 971
	FINE ART GROUP GROUP CODE - 5 510 Drawing & Painting 520 Still life & Designe	510 Drawing & Painting 520 Still life & Designe 530 History of Indian Art & World Art	110 History 120 Geography 130 Political Science 140 Economics 166 Sociology	NSQF के तहत ड्वॉकेशनल पाठ्यक्रम का विकल्प लेने वाले छात्र अतिरिक्त विषय के अंतर्गत चयन कर सकते हैं। 051 Hindi (General) 052 English (General)
	HOME SCIENCE GROUP GROUP CODE - 6	610 Home Management Nutrition & Textile 620 Anatomy physiology & Health 631 Elements of Science	ADDITIONAL SUBJECT (OPTIONAL) <i>(Any one subject not already offered)</i> 820 Book Keeping & Accountancy 831 Biology 832 Biotechnology 850 Mathematics 851 Informatic Practices 861 Indian Music 862 Drawing & Designing	FOR INTERNAL EXAMINATION ONLY 1. Environmental Education & Disaster Management 2. S.U.P.W. or Vocational Training of a Trade 3. Physical Education or N.C.C./N.S.S./Scout & Guide
				(NSQF के तहत केवल व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं के लिए) व्यावसायिक शिक्षा के विषय हायर सेकंडरी परीक्षा में द्वितीय भाषा के स्थान पर लिए जा सकते हैं।

नोट :- हायर सेकंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में एक भाषा हिन्दी अथवा अंग्रेजी लेना अनिवार्य है। नेत्रहीन मूक-बधिर तथा मानसिक रूप से विकलांग छात्रों को भाषा समूह में विशेष भाषा से छूट रहेगी। इन छात्रों को केवल एक भाषा हिन्दी (सामान्य) अथवा अंग्रेजी (सामान्य) लेना अनिवार्य है।

HIGHER SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE (VOCATIONAL COURSE) EXAMINATION 2018-19
SUBJECT CODE LIST - 2018-19

(I) FIRST LANGUAGE (SPECIAL) (Any one of the following) 001 Hindi 002 English	Co-operative Management 06 018 Co-operative Accounts and Audit 019 Co-operative Law and Administration 020 Co-operative Banking and Banking Laws Steno Typing 07 021 Office Correspondence and Office Practices 013 Hindi Typewriting 022 Hindi Shorthand OR 099 English Shorthand	Moped Scooter Motorcycle Repair 13 038 Machine Drawing 039 Mechanical Technology 040 Two Wheeler Engine Repair of Electric Domestic Appliance and Electric Motor Rewinding 14 041 Elements of Electrical Technology - II 042 Domestic Appliance - II 043 Materials and workshop Practical - II Dairying 15 044 Dairy Animal Reprod. Paper - I 045 Milk and Milk Products - Paper - II 046 Dairy Economics and Extension Education - Paper - III Farm Mechanics 16 047 Farm Power - I Paper - I 048 Farm Machinery - II Paper - II 049 Farm Power-II Paper- III	Printing Binding & Paper Converting 20 059 Composition 060 Machine Printing 061 Book Binding and Screen Printing Computer Application 21 062 Principles of Data Processing Management and System Analysis 063 Windows and DTP package (Page Maker) 064 Programming in FOX-PRO	X-Ray Technician 27 080 Radiation Physics 081 Radiography - I (General) 082 Radiography - II
SECOND LANGUAGE (GENERAL) (Any one of the following not already offered) 101 Hindi 102 English	Agriculture Business Management 01 003 Agricultural Finance and Co-Operation Paper - I 004 Marketing of farm Products Paper - II 005 Value Added Products - Paper - III	Horticulture 02 006 Floriculture and Ornamental Gardening Paper - I 007 Commercial Crops Paper - II 008 Post Harvest Technology Paper - III	Poultry Production 03 009 Poultry Extension. Marketing and Economics Paper - II 010 Poultry Products - Paper - II	Office Management 04 012 Office Methods and procedure 013 Hindi Typewriting 014 Office Automation
Book Keeping & Accountancy 05 015 Financial Accounting Part II 016 Partnership Accountancy 017 Auditing	Bakery and confectionary 09 026 Bakery - I 027 Bakery - II 028 Confectionary	Garments Making Costume Designing & Tailoring 10 029 Paper Pattern 030 Advanced Clothing Construction and Fashion Figure 031 Fancy Dress Making and Home Dyeing and Printing	Building Construction 11 032 Building Estimating and Costing 033 Building Drawing II 034 Building Maintenance	Repair of Radio and T.V. 12 035 Audio & Radio 036 T.V. Reception and Servicing 037 Servicing of Audio, Radio and Systems
				Repair of Radio and T.V. 12 035 Audio & Radio 036 T.V. Reception and Servicing 037 Servicing of Audio, Radio and Systems
				Photography 19 056 Accessories & Controlled Methods of Enlarging 057 Indoor Photography 058 Color Photography and Elementary Videography
				Wood Goods Making & Carving 26 077 Wood Goods Making & carving Paper - I 078 Wood Goods Making & carving Paper - II 079 Wood Goods Making & carving Paper- III
				Foundation Course 097 Optional Subject on the job Training 098 Environmental Education Rural Development + Entrepreneurship

SEX	MARITAL STATUS	CATEGORY	MEDIUM
MALE 1 FEMALE 2	MARRIED 1 UNMARRIED 2	SC 1 ST 2 OBC 3 UR 4	HINDI 1 ENGLISH 2 URDU 3

संभाग, जिला एवं विकास खण्ड कोड की सूची वर्ष 2018–2019
DIVISION, DISTRICT & BLOCK CODE LIST- 2018-2019

1-Gwalior Division	2-Sagar Division	3-Rewa Division	4-Ujjain Division
District-11-Morena	District-21-Tikamgar	District-31-Satna	District-41-Mandsour
Block Block	Block Block	Block Block	Block Block
Code Name	Code Name	Code Name	Code Name
1101 - Morena	2101 - Tikamgarh	3101 - Satna (Suhawa)	4101 - Mandsour
1102 - Ambah	2102 - Baldeogarh	3102 - Chitrakoot (Majgava)	4102 - Sitamau
1103 - Porsa	2103 - Niwari	3103 - Rampur Baghelan	4103 - Malhargarh
1104 - Joura	2104 - Prithvipur	3104 - Nagod	4104 - Garoth
1105 - Pahadgarh	2105 - Jatara	3105 - Uchehara	4105 - Bhanpura
1106 - Sabalgarh	2106 - Palera	3106 - Amarpatan	District-42-Neemuch
1107 - Kailaras	District-22-Chhatarpur	3107 - Ramnagar	4201 - Neemuch
District-12-Sheopur	2201 - Chhatarpur	3108 - Maihar	4202 - Jawad
1201 - Sheopur Kalan	2202 - Rajnagar	District-32-Rewa	4203 - Manasa
1202 - Vijaypur	2203 - Nowgaon	3201 - Rewa	District-43-Ratlam
1203 - Karahal	2204 - Laundi	3202 - Raipur (Karchuliyan)	4301 - Ratlam
District-13-Bhind	2205 - Gaurihar	3203 - Mauganj	4302 - Sailana
1301 - Bhind	2206 - Bijawar	3204 - Hanumana	4303 - Bajna
1302 - Ater	2207 - Badamalhara	3205 - Naigarhi	4304 - Jaora
1303 - Mehgaon	2208 - Bamswaha	3206 - Teothar	4305 - Piplodha
1304 - Lahar	District-23-Panna	3207 - Jawa	4306 - Alot
1305 - Mihona (Ron)	2301 - Panna	3208 - Sirmour	District-44-Ujjain
1306 - Gohad	2302 - Gunnaor	3209 - Gangew	4401 - Ujjain
District-14-Gwalior	2303 - Pawai	District-33-Shahdol	4402 - Ghatiya
1401 - Murar	2304 - Shahnagar	3301 - Sohagpur	4403 - Badnagar
1402 - Ghatigaon	2305 - Ajaygarh	3302 - Pali (No. 1)	4404 - Khachrod
1403 - Dabra	District-24-Sagar	3303 - Beohari	4405 - Mahidpur
1404 - Bhitarwar	2401 - Sagar	3304 - Burhar	4406 - Tarana
District-15-Datia	2402 - Rahatgarh	3305 - Jaisinghnagar	District-45-Shajapur
1501 - Datia	2403 - Jaisinagar	District-34-Umaria	4501 - Shajapur
1502 - Sewda	2404 - Rehli	3401 - Umariya Karkeli	4502 - Moman Badodiya
1503 - Bhander	2405 - Deori	3402 - Manpur	4503 - Agar
District-16-Shivpuri	2406 - Kesli	3403 - Gohparu (Pali No. 2)	4504 - Badod
1601 - Shivpuri	2407 - Banda	District-35-Sidhi	4507 - Shujalpur
1602 - Kolaras	2408 - Shahgarh	3501 - Sidhi	4508 - Kalapipal
1603 - Karera	2409 - Khurai	3502 - Sihawal	District-46-Dewas
1604 - Narwar	2410 - Malthone	3503 - Kusmi	4601 - Dewas
1605 - Pohari	2411 - Bina	3504 - Majholi	4602 - Sonkatch
1606 - Pichhore	District-25-Damoh	3505 - Rampur Naikin	4603 - Tonkhurd
1607 - Khaniyadhana	2501 - Damoh	District-36-Anuppur	4604 - Kannod
1608 - Badarwas	2502 - Pathariya	3601 - Anuppur	4605 - Khategaon
District-17-Guna	2503 - Jabera	3602 - Pushprajgarh	4606 - Bagali
1701 - Guna	2504 - Tendukheda	3603 - Kotma	District-47-Agar
1702 - Bamori	2505 - Hatta	3604 - Jaithari	4701 - Agar
1703 - Chachoura	2506 - Patera	District-37-Singrauli	4702 - Baroud
1704 - Raghogarh	2507 - Batiyagarh	3701 - Devsar	4703 - Susner
1705 - Aron		3702 - Chitrangi	4704 - Nalkheda
District-18-Ashok Nagar		3703 - Baidhan	
1801 - Ashok Nagar			
1802 - Isagarh			
1803 - Mungaoli			

संभाग, जिला एवं विकास खण्ड कोड की सूची वर्ष 2018–2019

DIVISION, DISTRICT & BLOCK CODE LIST- 2018-2019

5-Indore Division	6-Bhopal Division	7-Jabalpur Division
District-51-Jhabua	District-61-Rajgarh	District-71-Jabalpur
Block Code Name	Block Code Name	Block Code Name
5101 - Jhabua	6101 - Rajgarh	7101 - Panagar
5102 - Rama	6102 - Khilchipur	7102 - Kundam
5103 - Ranapur	6103 - Jirapur	7103 - Bargi (Jabalpur)
5104 - Petlawad	6104 - Narsingarh	7104 - Sihora
5105 - Thandla	6105 - Biaora	7105 - Majholi
5106 - Meghanagar	6106 - Sarangpur	7106 - Patan
District-52-Dhar	District-62-Vidisha	District-72-Katni
5201 - Dhar	6201 - Vidisha	7201 - Bahoriband
5202 - Nalchha	6202 - Gyaraspur	7202 - Dhimarkheda
5203 - Tirla	6203 - Basoda	7203 - Rithi
5204 - Badnawar	6204 - Nateran	7204 - Katni
5205 - Sardarpur	6205 - Kurwai	7205 - Barwara
5206 - Manawar	6206 - Sironj	7206 - Vijayraghogarh
5207 - Dharampuri	6207 - Lateri	District-73-Narsinghpur
5208 - Gandhwani	District-63-Bhopal	7301 - Narsingpur
5209 - Bakana (Umarban)	6301 - Phanda	7302 - Gotegaon
5210 - Kukshi	6302 - Barasia	7303 - Kareli
5211 - Nisarpur	District-64-Sehore	7304 - Saikheda
5212 - Bagh	6401 - Sehore	7305 - Babai Chichali
5213 - Dahi	6402 - Ichhawar	7306 - Chawarpatha
District-53-Indore	6403 - Ashta	District-74-Mandla
5301 - Indore	6404 - Budhni	7401 - Mandla
5302 - Mhow	6405 - Nasrullanganj	7402 - Mohgaon
5303 - Sanwer	District-65-Raisen	7403 - Ghughri
5304 - Depalpur	6501 - Sanchi	7404 - Nainpur
District-54-Khangone	6502 - Obedullaganj	7405 - Bichhiya
5401 - Khangone	6503 - Begamganj	7406 - Mawai
5402 - Gogawan	6504 - Gairatganj	7407 - Niwas
5403 - Bhagwanpura	6505 - Silwani	7408 - Narayanganj
5404 - Segaoon	6506 - Bareli	7409 - Bijadodi
5405 - Bhikangaon	6507 - Udaipura	District-75-Dindori
5406 - Jhiranya	District-66-Betul	7501 - Dindori
5407 - Maheshwar	6601 - Betul	7502 - Amarapur
5408 - Badwah	6602 - Chicholi	7503 - Karanjiya
5409 - Kasrawad	6603 - Ghoradongari	7504 - Samnagar
District-55-Badwani	6604 - Shahpur	7505 - Bajag
5501 - Barwani	6605 - Multai	7506 - Mehadwani
5502 - Pati	6606 - Prabhatpattan	7507 - Shahpura
5503 - Thikri	6607 - Amla	District-76-Chhindwara
5504 - Rajpur	6608 - Bhainsdehi	7601 - Chhindwara
5505 - Pasemal	6609 - Aathner	7602 - Tamia
5506 - Sendhawa	6610 - Bhimpur	7603 - Parasia
5507 - Niwali	District-67-Hoshangabad	7604 - Mohkheda
District-56-Khandwa	6701 - Hoshangabad	7605 - Jamai
5601 - Khandwa	6702 - Babai	7606 - Saunsar
5602 - Punasa	6703 - Keshla	7607 - Pandhurna
5603 - Chhegaon (Makhan)	6704 - Sohagpur	7608 - Bichhua
5604 - Pandhana	6705 - Bankhedi	7609 - Amarwara
5605 - Harsud	6706 - Pipariya	7610 - Churai
5606 - Khalwa	6707 - Seoni Malwa	7611 - Harrai
5607 - Baldi (Killod)	District-68-Harda	District-77-Seoni
District-57-Burhanpur	6801 - Khirkiya	7701 - Seoni
5701 - Khaknar	6802 - Harda	7702 - Barghat
5702 - Burhanpur	6803 - Timarni	7703 - Kurai
District-58-Alirajpur		7704 - Keolari
5801 - Alirajpur		7705 - Lakhnadon
5802 - Jobat		7706 - Chhapara
5803 - Bhavra		7707 - Kahanapas (Ghansaur)
5804 - Sondawa		7708 - Dhanaura
5805 - Kathiwada		District-78-Balaghat
5806 - Udaigarh		7801 - Balaghat
		7802 - Lanji
		7803 - Kirnapur
		7804 - Baihar
		7805 - Paraswada
		7806 - Birsa
		7807 - Waraseoni
		7808 - Kairlanji
		7809 - Katangi
		7810 - Lalbarra